

(TO BE PUBLISHED IN PART –IV OF THE DELHI GAZETTE EXTRAORDINARY)

GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI  
(DEPARTMENT OF LAW, JUSTICE AND LEGISLATIVE AFFAIRS)  
8<sup>TH</sup> LEVEL, C-WING, DELHI SECRETARIAT, NEW DELHI

No. F.14(7)/LA-2015/cons2law/ 64-73

Dated the 23<sup>rd</sup> August, 2018

**NOTIFICATION**

NO. F.14(7)/LA-2015/ cons2law/ 64-73, dt. 23-08-2018. The following Act of the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi received the assent of the President of India on the 1<sup>st</sup> August, 2018 and is hereby published for general information:-

**"The Delhi Netaji Subhas University of Technology Act, 2017  
(DELHI ACT 06 OF 2018)**

(As passed by the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi on the 10<sup>th</sup> August, 2017)

[1<sup>st</sup> August, 2018]

An Act to provide for the reconstitution and upgradation of the Netaji Subhas Institute of Technology as a non-affiliating Netaji Subhas University of Technology, and to provide for education and research in branches of engineering, technology, sciences, humanities, social sciences and management and for the advancement of learning and dissemination of knowledge in such branches and for certain other matters connected therewith or incidental thereto;

Whereas, the Netaji Subhas Institute of Technology is a registered society under the Societies Registration Act, 1860 (Act XXI of 1860) and is fully funded by the Government of National Capital Territory of Delhi and affiliated to the University of Delhi;

And whereas, it is expedient to confer on the said institution the status of a University to enable it to function more efficiently as a teaching and research center in various branches of learning and courses of study promoting: fusion of engineering education within different branches of engineering and with other fields such as management, medical, humanities and social sciences etc; flexible multi-level entry system providing for vertical and horizontal mobility, technology transfer, entrepreneurship development and value systems and this university will not only fulfill its obligations of education and advance research in engineering technology, sciences, humanities, social sciences, management but also at the same time, will discharge its manifold responsibilities of becoming a university with a close societal and industrial interface.

Be it enacted by the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi in the Sixty-ninth Year of the Republic of India as follows:-

1. **Short title, extent and commencement** :-(1) This Act may be called the Delhi Netaji Subhas University of Technology Act, 2017.
- (2) It shall come into force on such date as the Government may, by notification in the Official Gazette, appoint.
2. **Definitions** : - In this Act, unless the context otherwise requires -
  - (a) **"Academic Staff"** means such categories of staff as are designated by the Statutes to be the academic staff of the University;

- (b) **"Board"** means the Board of Management of the University;
- (c) **"Campus"** means the unit established or constituted by the University for making arrangements for instruction, or research, or both within the territorial jurisdiction of National Capital Territory of Delhi;
- (d) **"Center"** means the Center established or maintained by the University;
- (e) **"Chancellor", "Vice Chancellor" and "Pro-Vice Chancellor"** mean the Chancellor, the Vice Chancellor and the Pro-Vice Chancellor of the University;
- (f) **"Controller of Examinations"** means Controller of Examinations of the University;
- (g) **"Controller of Finance"** means Controller of Finance of the University ;
- (h) **"Court"** means the Court of the University;
- (i) **"Delhi"** means the National Capital Territory of Delhi;
- (j) **"Department"** means an Academic Department within a Faculty;
- (k) **"employee"** means any person appointed by the University;
- (l) **"Faculty"** means a Faculty of Studies of the University;
- (m) **"Finance Committee"** means the Finance Committee of the University;
- (n) **"Government"** means Lieutenant Governor of the National Capital Territory of Delhi appointed by the President under article 239 and designated as such under article 239 AA of the constitution;
- (o) **"hall"** means a unit of residence or of corporate life for the students of the University;
- (p) **"Institution"** means any institution established or maintained by the University;
- (q) **"misconduct"** means a misconduct prescribed by the Statutes and the Ordinance;
- (r) **"notification"** means a notification published in the official Gazette;
- (s) **"Proctor"** means the Proctor of the University;
- (t) **"prescribed"** means prescribed by the Statutes or Ordinances or Regulations made under this Act;
- (u) **"Registrar"** means the Registrar of the University;
- (v) **"Senate"** means the Senate of the University;



- (w) "staff" means all teaching and non-teaching staff of the University;
- (x) "Statutes", "Ordinances" and "Regulations" mean the Statutes, Ordinances and Regulations of the University ;
- (y) "Teachers" means professors, associate professors, assistant professors and such other persons as may be appointed for imparting instruction or conducting research in the University, or in any institution/centre maintained by the University and are designated as teachers by the Statutes;
- (z) "University" means the **Netaji Subhas University of Technology** as incorporated under this Act.

3. **Incorporation of the University:-**(1) With effect from such date as the Government may, by notification in the official Gazette, appoint, there shall be established a University by the name of the **Netaji Subhas University of Technology**, comprising of the Chancellor, the Vice Chancellor, the Pro-Vice Chancellors, the first members of the Court, the Board of Management, the Senate and the Finance Committee of the University and all such persons as may hereafter be appointed to such office or as members so long as they continue to hold such office or membership.

- (2) The University shall be a body corporate with the name aforesaid having perpetual succession and a common seal with power, subject to the provisions of this Act, to acquire, hold and dispose of property and to contract and may, by the said name, sue or be sued:

Provided that the land acquired and building constructed with the assistance of the Government shall not be disposed without the prior approval of the Government.

- (3) The University shall be a Centre for excellence engaged in teaching and research in emerging areas of higher education with focus on but not restricted to Engineering, Technology, Sciences, Humanities and Social Sciences and Management and shall promote inter-disciplinary education and research to achieve excellence in these and committed fields;

4. **Effect of incorporation of the University:-** On and from the commencement of this Act, the Netaji Subhas Institute of Technology shall cease to exist, and, -

- (a) any reference to the Netaji Subhas Institute of Technology in any law (other than this Act) or in any contract or other instrument shall be deemed as a reference to the University;
- (b) all property, movable and immovable, of or belonging to the Netaji Subhas Institute of Technology, shall vest in the University;

- (c) future acquisition of capital assets out of the funds allocated by the Government shall be with the approval of the Government and the ownership shall vest in the Government. However, responsibility for upkeep, security and maintenance of the said assets shall be with the University;
- (d) all the rights and liabilities of the Netaji Subhas Institute of Technology shall be transferred to, and be the rights and liabilities of the University;
- (e) every person employed on regular basis by the Netaji Subhas Institute of Technology immediately before such commencement shall hold his office or service in the University by the same tenure, at the same remuneration and upon the same terms and conditions and with the same rights and privileges as to pension, leave, gratuity, provident fund, and other matters as he would have held the same if this Act had not been passed, and shall continue to do so unless and until his employment is terminated or he has opted for the terms and conditions of employment as on duty allotted by the University;
- (f) Notwithstanding anything contained in this Act, the existing students of the Netaji Subhas Institute of Technology, admitted before the establishment of the University under section 3 of this Act, shall continue to pursue their academic courses and programmes of study under the enrolment and affiliation of the University of Delhi, which shall conduct examinations and award degrees to them upon successful completion of the courses and programmes of study they are pursuing thereat presently;

5. **Jurisdiction-** Save as otherwise provided by or under this Act, the limits of the area within which the University shall exercise its powers, shall be that of the National Capital Territory of Delhi;

6. **Objects of the University-** The objects of the University shall be -

- (a) to evolve and impart comprehensive higher education with focus on but not restricted to engineering, technology, sciences, humanities, social sciences, management and allied areas;
- (b) to facilitate and promote studies leading to award of degrees and diplomas;
- (c) to establish centers of advanced studies and research in various relevant areas of engineering, technology, sciences, humanities, social sciences, management and allied areas;
- (d) to promote development of products, services and entrepreneurship;
- (e) to establish linkages between the University, industries, research and development organizations and other Universities/ Institutes for collaborative (including dual degree) teaching and research programmes in India and abroad;
- (f) to promote global interaction through teachers and students exchange in the areas of engineering, technology, science, humanities, social sciences and management and other allied areas;



- (g) to set up innovation foundations, science and technology park and technology business incubators to foster techno-entrepreneurship, innovation and new product development;
- (h) to disseminate knowledge and processes and their role in national development by organizing lectures, seminars, symposia, workshops and conferences;
- (i) to promote and foster cultural and ethical values with a view to promote and foster professional morality, research integrity, globally acceptable business ethics and morals for professionals;
- (j) to publish periodicals, treatises, studies, books, reports, journals and other literatures on subjects pertinent to academic areas of the university, including electronic resources;
- (k) to undertake study, training projects and technology transfer programmes relating to Engineering, Technology, Science, Humanities, Social Sciences and Management;
- (l) to do all such things as are incidental, necessary or conducive to the attainment of all or any of the objects of the University;

**7. Powers and functions of the University-** The University shall have the following powers and perform the following functions, namely:-

- (i) to provide for instruction in such branches of learning as the University may, from time to time, determine and to make provisions for research and for the advancement and dissemination of knowledge and skills;
- (ii) to hold examination and to grant, subject to such conditions as the University may determine, degrees and diplomas to, and confer degrees and other academic distinctions or titles on the basis of examinations, evaluation or any other method of testing, on persons and withdraw any such award for good and sufficient reasons;
- (iii) to confer honorary degrees or other distinctions;
- (iv) to organize and to undertake extra mural studies and extension services;
- (v) to create teaching, research, administrative, technical, ministerial and other posts under the University and to make appointments thereto in accordance with the Statutes of the University;
- (vi) to frame the recruitment rules in respect of the posts mentioned in (v) above as per the guidelines of University Grants Commission and All India Council for Technical Education and Government as prescribed;
- (vii) to co-operate or collaborate or associate with any other university, authority or institution of higher learning in such manner and for such purpose as the University may determine;
- (viii) to establish centers for education and research at all levels (undergraduate, postgraduate and research) with accredited and reputed foreign Universities in engineering, technology, sciences, humanities, social sciences and management and in any other subjects as deemed fit;

- (ix) to prescribe for supernumerary seats, over and above the approved intake, across different disciplines and programs for the foreign students, the persons of Indian origin (PIOs), the Non-Resident Indians (NRIs) and sponsored students at a fee to be decided by the University from time to time;
- (x) to enable the co-operation, promote cooperation and exchange with institutions in India and abroad for imparting instructions or supervising research, or both;
- (xi) to establish, maintain institutions, centers, campuses and such other centers of education, research, training and extension as deemed appropriate by the University;
- (xii) on the recommendation of the Senate to set up curriculum development cells for different subjects to create a repository of learning material in print and electronic forms;
- (xiii) to make provision for research and consultancy services and, for that purpose, to enter into such arrangements with other institutions or bodies as the University may deem fit;
- (xiv) to determine mode and standards for admissions to the University which may include examinations, evaluation or any other method of selection;
- (xv) to institute and award fellowships, scholarships, medals and prizes;
- (xvi) to fix, prescribe, demand and receive payment of fees and other charges from students and any other category of persons;
- (xvii) to establish, maintain and manage halls, hostels, residences etc for the residence of , staff, students and scholars;
- (xviii) to prescribe, regulate and enforce the discipline and conduct of students of the University and to make arrangements for promoting their health, welfare and cultural and corporate life;
- (xix) to regulate the work and conduct of employees of the University and take such disciplinary measures in this regard as may deem necessary;
- (xx) to make arrangements for promoting the health and general welfare of employees of the University;
- (xxi) to create any Reserve Fund, Insurance Fund or any other special Fund whether for depreciation or for repairing, improving, extending or maintaining any of the properties or rights of the University and/or for recoupment of wasting assets and for any other purposes for which the University deems it expedient or proper to create or maintain such Funds;



- (xxiii) to receive benefactions, donations and gifts from persons and organizations and to name, after them, such chairs, institutions, buildings and the like as the University may determine, whose gift or donation to the University is worth such amount as the University may decide;
- (xxiv) to acquire by gift, purchase, exchange, lease, hire or otherwise howsoever any movable or immovable property which may be necessary or convenient for the purpose of the University and to build, construct, improve, alter, demolish, repair and maintain such buildings, works and constructions as may be necessary for carrying out the objects of the University;
- (xxv) to borrow money, with the approval of the Government, for the purpose of the University;
- (xxvi) to assess the needs in terms of subjects, fields of specialization, levels of education and training of technical and other manpower, both on short and long term basis, and to initiate necessary programmes to meet those needs;
- (xxvii) to initiate measures to enlist the cooperation of the industry and other expert agencies to provide complementary facilities;
- (xxviii) to provide for instruction through "distance learning" and "open approach" and for mobility of students from the non-formal or open learning stream to the formal stream and vice versa;
- (xxix) to prescribe code of ethics, code of conduct and disciplinary rules for its employees and Code of Discipline for the students. However, the disciplinary rules for the employees should be on the line of conduct rules and disciplinary rules applicable to employees of Government;
- (xxx) to do all such other acts and things as may be necessary or incidental to the exercise of all or any of the powers of the university or necessary for or conducive to the attainment of all or any of the objects of the University;

8. **University open to all classes, castes and creed-** (1) The University shall be open to persons of either sex or whatever race, creed, caste or class, to be admitted as student of the University or to graduate thereat and it shall not be lawful for the University to adopt or impose on any person any test whatsoever of religious belief or profession or political opinion in order to entitle them to be admitted as students of the University, in order to entitle them to be appointed as a teacher of the University or to hold any office therein.

(2) Nothing in this section shall be deemed to prevent the University from making any special provision for the appointment or admission of women or of persons belonging to the weaker sections of the Society, and in particular, of persons belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes; and physically challenged. However, the provision prevalent in the Government of NCT of Delhi instructions will be followed;

9. **Teaching in the University:** (1) The teaching in connection with the degree and diploma programmes of the University shall be conducted in accordance with the Ordinances and Regulations;
- (2) The courses and curricula and the authorities responsible for organizing the teaching of such courses and curricula shall be as prescribed by the Ordinances;
10. **Visitor of the University –** (1) The President of the Republic of India shall be the Visitor of the University.
- (2) Any dispute arising between the University and any other University established by law in Delhi, may be referred to the Visitor whose decision shall be final and binding on the parties.
11. **Chancellor of the University-** (1) The Lieutenant Governor of the National Capital Territory of Delhi shall be the Chancellor of the University;
- (2) The Chancellor shall, if present, preside over the convocation of the University for conferring degrees;
- (3) The Chancellor may cause an inspection to be made by such person or persons as he may direct, of the University, its buildings, libraries and equipment and of any institution maintained by the University, and also of the examinations, teaching and other work conducted or done by the University and cause an inquiry to be made in the like manner in respect of any matter connected with the administration and finances of the University;
- (4) The Chancellor may offer such advice to the University as he may deem fit with reference to the result of such inspection or inquiry;
- (5) The University shall communicate to the Chancellor the action taken or proposed to be taken on such advice;
- (6) The Chancellor may invite a person or persons of eminence to advise the University in relation to affairs of the University as and when he deems it necessary.
12. **Officers of the University-** The following shall be the officers of the University;
- (a) the Vice-Chancellor;
- (b) the Pro Vice-Chancellors;
- (c) the Deans;
- (d) the Registrar;
- (e) the Controller of Examinations;



- (f) the Controller of Finance; and
- (g) such other officers as may be declared by the Statutes to be the officers of the University;

- 13. Vice-Chancellor of the University –** (1) The Vice-Chancellor shall be a scholar of eminence in one of the areas of engineering, technology, sciences, management and allied areas related to the University and having rich administrative and academic experience in an institution of higher learning;
- (2) The Vice-Chancellor will be appointed by the Chancellor of the University.
  - (3) The Vice-Chancellor shall be the principal academic and executive officer of the University and shall be responsible for proper administration of the University and for imparting instruction and maintenance of discipline therein and give effect to the decisions of all the authorities of the University and all other staff of the University shall be subordinate to him;
  - (4) The Vice-Chancellor shall have the power to delegate some of his powers to any of his subordinates under intimation to Board of Management;
  - (5) In case the Vice-Chancellor is on leave, in his absence, Pro-Vice Chancellor as nominated by the Vice-Chancellor or in his absence, a Dean of the University as nominated by the Vice-Chancellor shall perform the functions of Vice-Chancellor;
  - (6) In the event of the posts of the Vice-Chancellor remaining vacant for any reason, it shall be open to the Chancellor to authorize a senior regular Professor in the service of the University to exercise such powers, functions and duties of the Vice-Chancellor as the Chancellor may deem fit;
  - (7) The Vice-Chancellor shall have the power of the Secretary of Government for purposes of rules in the account code, the Fundamental and Supplementary Rules and other Rules of the Government in so far as they are applicable or may be made applicable to the conduct of the business of the University, subject to the additional power that may be delegated by the Board of Management from time to time;
  - (8) The Vice-Chancellor shall have the power to incur expenditure in accordance with the procedures as may be prescribed by the Board of Management, subject to the budget provisions made for the specific purpose and for expenditure charged on works the Vice-Chancellor shall have the powers of the Chief Engineer and the Superintending Engineer as per CPWD Works Manual till such time these posts are created and filled up;
  - (9) The Vice-Chancellor shall have the power to re-appropriate funds with respect to different items constituting the recurring budget up to a prescribed limit as prescribed by the Board of Management for each item provided that such re-appropriation will not involve any liability in future years, every such re-appropriation shall, be compulsorily reported to the Board of Management in the next meeting.

- (10) The Vice-Chancellor shall have the power to write off irrecoverable losses upto prescribed limit of Government Rules/ norms of irrecoverable value of stores lost or rendered unserviceable due to fair wear and tear according to the powers vested in Head of Department of Government, as per Government rules/norms, and subject to such stipulations as may be made by the Board of Management, from time to time;
- (11) The Vice-Chancellor shall have the power to employ technicians, workmen and administrative and management staff reporting to the academicians paid from contingencies involving emoluments not exceeding the approved rates of the Government, and the said staff should only be engaged against the vacant sanctioned posts;
- (12) The Vice-Chancellor shall have the power to send members of the staff for training or for a course of instruction or to attend any conference or symposium or workshop within India or abroad and pay the registration fees and sanction expenditure of the concerned staff;

Provided that his own travel outside India for any of the above purposes/ official duty would have to be sanctioned by the Chancellor before the journey:

Provided that Vice Chancellor can approve his own travels within India for the same purposes.

- (13) The Vice-Chancellor shall have the power to sanction remission or reduction of rents for buildings rendered wholly or partially unsuitable on the recommendation of the Finance committee;
- (14) The Vice-Chancellor shall have the power to sanction temporary allocation of any building for any purpose other than that for which it was constructed; but in any case it will not be for commercial use;
- (15) The Vice-Chancellor may, at his discretion, constitute such Committees as he may consider appropriate;
- (16) In emergent cases, the Vice-Chancellor may exercise all the powers of the Board of management, Senate and Finance Committee and put up in the respective Bodies of the action taken in the next meeting:

Provided that if authority concerned is of the opinion that such action ought not to have been taken, it may refer the matter to the Chancellor, whose decision thereon shall be final;

Provided that any person in the service of the University who is aggrieved by this action taken by the Vice-Chancellor under this sub-section shall, have the right to appeal against such action to



communicated to him and thereupon the Board of Management may, confirm, modify or reverse the action taken by the Vice-Chancellor.

- (17) The Vice-Chancellor shall exercise such other powers and perform such other functions as may be prescribed by the Statutes and the Ordinances;
14. **Pro Vice-Chancellors of the University-** (1) Every Pro Vice-Chancellor shall be appointed by Board of Management (BOM) in such manner, on such emoluments and other conditions of service, and shall exercise such powers and perform such functions, as may be prescribed.
- (2) The Pro Vice-Chancellors shall perform such duties and exercise such functions and powers as the Vice-Chancellor may specify generally or in individual cases and shall assist the Vice-Chancellor on academic and administrative matters;
- (3) The term of the Pro Vice-Chancellors shall be co-terminus with the term of Vice-Chancellor.
15. **The Deans-** Every Dean shall be appointed by the Vice-Chancellor in such manner, and shall exercise such powers and perform such duties as may be prescribed.
16. **The Registrar-** (1) The Registrar shall be appointed Board of Management (BOM) in such manner, on such emoluments and other conditions of service, and shall exercise such powers and perform such functions, as may be prescribed.
- (2) The Registrar empowered by the Board of Management shall have the power to enter into and sign agreements and legal documents and authenticate records on behalf of the University;
- (3) The Registrar shall act as the custodian of records.
17. **Controller of Examinations -** The Controller of Examinations shall be appointed by the Board of Management in such manner, on such emoluments and other conditions of service, and shall exercise such powers and perform such functions as may be prescribed;
18. **The Controller of Finance -**The Controller of Finance shall be appointed Board of Management (BOM) in such manner, on such emoluments and other conditions of service and shall exercise such powers and perform such duties as may be prescribed.
19. **Other officers -** The manner of appointment, powers and duties of the other officers of the University shall be such as may be prescribed.

- (1) The Court;
- (2) The Board of Management;
- (3) The Senate;
- (4) The Finance Committee; and
- (5) Such other authorities as may be declared by the Statutes to be the authorities of the University;

**21. The Court -** (1) The Court shall be the supreme authority of the University and shall consist of the following persons namely:-

- (a) Chancellor, who shall be the chairperson;
- (b) Minister of Education of the Government (ex-officio);
- (c) Vice-Chancellor (ex-officio);
- (d) Pro Vice-Chancellors (ex-officio);
- (e) Principal Secretary/Secretary (Training and Technical Education) of the Government (ex-officio);
- (f) Principal Secretary/Secretary (Higher Education) of the Government (ex-officio);
- (g) Principal Secretary/Secretary (Finance) of the Government (ex-officio);
- (h) Two eminent persons in the disciplines of engineering, technology, sciences, humanities, social sciences and management, nominated by the Government;
- (i) One representative of alumni of the University to be nominated by the Vice-Chancellor for a period of two years;
- (j) Four Deans of the University as nominated by the Vice-Chancellor;
- (k) Two Heads of Departments as nominated by the Vice-Chancellor;
- (l) A member of non-teaching staff to be nominated by Vice-Chancellor by rotation for a tenure of one year;
- (m) Registrar - Member-Secretary (ex-officio).



- (2) The term of office of the nominated members of the Court, other than ex-officio members, shall be three years.
- (3) Where a person has become a member of Court by reason of the office or appointment he holds, his membership shall terminate when he ceases to hold that office or appointment.
- (4) A member of the Court shall cease to be a member if he resigns or becomes of unsound mind, or becomes insolvent or is convicted of a criminal offence involving moral turpitude.
- (5) A member shall also cease to be member if he accepts a full time appointment in another University, or if he not being an ex-officio member fails to attend three consecutive meetings of the Court.
- (6) A member of the Court, other than an ex-officio member, may resign his office by a letter addressed to the Chancellor and such resignation shall take effect as soon as it has been accepted by him.
- (7) Any vacancy in the Court shall be filled by nomination by the respective nominating authority and on expiry of the period of the vacancy such nomination shall cease to be effective.

**22. Powers, functions and meetings of the Court-** (1) Subject to the provisions of this Act, the Court shall review, from time to time, the broad policies and programmes of the University and suggest measures for improvement and development of the University, the Court shall have the following other powers and functions namely:-

- (a) to consider the broad policies or any proposed modification thereof by the Board of Management;
  - (b) to advise the Chancellor in respect of any matter which may be referred to it for advice; and
  - (c) to perform such other functions as may be prescribed.
- (2) The Court shall ordinarily meet at least once in every calendar year, and that meeting of the Court shall be called by the Registrar with the approval of the Chancellor;
  - (3) For every meeting of the Court, normally fifteen days notice shall be given;
  - (4) One half of the members existing on the rolls of the Court shall form the quorum;
  - (5) Each member shall have one vote and if there be equality of votes on any question to be determined by the Court, Chairperson of the Court shall, in addition, have a casting vote;

- (6) In case of difference of opinion among the members, the opinion of the majority shall prevail;

23. **The Board of Management-**(1) The Board of Management shall be the principal executive authority of the University and, as such, shall have all powers necessary to administer the University subject to the provisions of this Act and the Statutes made there under, and may make Ordinances and Regulations for that purpose and also with respect to matters provided hereunder.

- (2) The Board shall consist of the following persons, namely –

- (a) Vice-Chancellor : Chairperson (ex-officio);
- (b) Pro Vice-Chancellors (ex-officio);
- (c) Two eminent persons from the disciplines of engineering, technology, science, humanities, social sciences and management to be nominated by the Government on the recommendations of the Vice-Chancellor;
- (d) Two eminent persons from the Industries or Organizations to be nominated by the Government on the recommendations of the Vice-Chancellor;
- (e) A representative of University Grants Commission (UGC);
- (f) A representative of All India Council for Technical Education (AICTE);
- (g) Principal Secretary or Secretary, Technical Education of the Government (ex-officio);
- (h) Principal Secretary or Secretary, Finance of the Government (ex-officio);
- (i) Principal Secretary or Secretary, Higher Education of the Government (ex-officio);
- (j) Four Deans of the University as nominated by the Vice-Chancellor;
- (k) One person of eminence who is alumni, as nominated by the Vice-Chancellor;
- (l) Two Heads of Departments as nominated by the Vice-Chancellor;



(m) Registrar – Member-Secretary (ex-officio);

- (3) Where a person has become a member of the Board by reason of the office or appointment he holds, his membership shall terminate when he ceases to hold that office or appointment;
  - (4) The term of office of the nominated members of the Board, other than ex-officio members, shall be three years but they are eligible for re-nomination for maximum of total two tenures;
  - (5) A member of the Board shall cease to be a member, if he resigns or becomes of unsound mind, or becomes insolvent or is convicted of a criminal offence involving moral turpitude; A member, who is employee of the University shall also cease to be member, if he accepts a full time appointment in another University or if he not being an ex-officio member, fails to attend three consecutive meetings of the Board without taking prior approval of the Vice-Chancellor;
  - (6) A member of the Board, other than an ex-officio member may resign from his office by a letter addressed to the Chairperson, Board of Management and such resignation shall take effect, as soon as, it has been accepted by him;
  - (7) Any vacancy in the Board shall be filled by nomination by the respective nominating authority and on expiry of the period of the vacancy such nomination shall cease to be effective;
- 24. Powers, functions and meetings of the Board of Management-**(1) The Board shall have the following powers and functions, namely:-
- (i) to consider and pass resolutions on the annual report and the annual accounts of the University and the report of its auditors on such accounts;
  - (ii) to exercise all financial powers and manage and regulate the finances, accounts, investment, properties, business and all other administrative affairs of the University and for the purpose, constitute committees and delegate the powers to such committees or such officers of the University as it may deem fit;
  - (iii) to invest any money belonging to the University, including any unapplied income in securities as it may, from time to time, think fit, on the advice of Finance Committee, except land acquired or buildings constructed with the assistance of the Government, in which cases, the prior approval of the Government shall be required;
  - (iv) to enter into, vary, carryout and cancel contracts on behalf of the University and for that purpose to appoint such officers as it may think fit;
  - (v) to provide the buildings, premises, furniture, computers and apparatus and other means needed for carrying on the work of the University;

- (vi) to entertain, adjudicate upon, and if it thinks fit, to redress any grievances of the officers, the teachers, the students and the employees of the University;
  - (vii) to create posts of all Groups on the recommendation of Senate and appoint persons to academic as well as other posts in the University;
  - (viii) to select a common seal for the University;
  - (ix) to lay down policy guidelines for admitting "Foreign students, Persons of Indian Origin (PIOs), the Non-Resident Indians (NRIs) and sponsored students" as supernumerary against higher fee prescribed by it from time to time;
  - (x) to exercise such other powers and to perform such other duties as may be considered necessary or imposed on it by or under this Act;
- (2) (a) The Board shall meet at least, three times in a year and not less than fifteen days notice shall be given for such meetings.
- (b) The meetings of the Board shall be called by the Registrar under instructions of the Vice-Chancellor or at the request of not less than eight members of the Board.
- (c) One half of the members of the Board shall form the quorum at any meeting.
- (d) In case of difference of opinion among the members, the opinion of the majority shall prevail;
- (e) Each member of the Board shall have one vote and if there be equality of votes on any question to be determined by the Board, the Chairperson of the Board or, as the case may be, the member presiding over that meeting shall, in addition, have a casting vote.
- (f) Every meeting of the Board shall be presided over by the Chairperson, Board of Management, who shall be the Vice-Chancellor of the University. In the absence of the Vice-Chancellor, a senior-most Pro-Vice-Chancellor shall preside over the meeting of Board of Management, and if there is no Pro-Vice-Chancellor in the University, senior-most Dean shall preside over the meeting.
- (g) In emergent cases, the Chairperson may exercise the powers of the Board of Management and inform the Board of the action taken by him in good faith for its ratification in the next meeting of the Board and the Board may either ratify the decision of the Chairperson or accept it with modifications or reject it and in the event of modification or rejection of the decision of the Chairperson by the Board, such decision shall stand modified or rejected, as the case may be, retrospectively i.e., from the date of implementation of such decision of the Chairperson.



- (h) If urgent action by the Board becomes necessary, the Chairperson, Board of Management, may permit the business to be transacted by circulation of papers to the members of the Board, and the action so proposed to be taken shall not be taken unless agreed to by a majority of members of the Board and the action so taken shall be forthwith intimated to all the members of the Board and in case the authority concerned fails to take a decision, the matter shall be referred to the Chancellor, whose decision shall be final.

25. **The Senate-** (1) The Senate shall be the principal academic body of the University and shall, subject to the provisions of this Act, the Statutes and the Ordinances, have the control and regulations of, and be responsible for, the maintenance of standards of instruction, education, research and examination within the University and shall exercise such other powers and perform such other duties as may be conferred or imposed upon it by the Statutes.

(2) The Senate shall have the right to advise the Board on all academic matters.

(3) The Senate shall consist of the following persons, namely:-

- (a) Chairperson: Vice-Chancellor of the University (ex-officio) ;
- (b) Pro Vice-Chancellors (ex-officio);
- (c) Four persons, who are not employees of the University to be co-opted by the Senate on the recommendations of the Vice-Chancellor from amongst educationists, scientists or engineers of repute;
- (d) A nominee of the University Grants Commission;
- (e) A nominee of the All India Council for Technical Education;
- (f) A representative of Industries, as nominated by the Vice-Chancellor;
- (g) All Deans of the University ;
- (h) Four Heads of Departments as nominated by the Vice-Chancellor;
- (i) Four Professors of the University as nominated by the Vice-Chancellor;

- (j) One Associate Professor and one Assistant Professor as nominated by the Vice-Chancellor;
  - (k) Controller of Examinations;
  - (l) One person of eminence who is alumni, as nominated by the Vice-Chancellor;
  - (m) Two Student representatives as nominated by the Vice-Chancellor; and
  - (n) Registrar - Member- Secretary (ex-officio).
- (4) The term of the members of the Senate, other than ex-officio members, shall be three years except the student representative, in which case the tenure will be for one year;
- 26. Powers, Functions and Meetings of the Senate-**(1)subject to the provisions of this Act, Statutes, Ordinances and Regulations and overall supervision of the Board, the Senate shall manage the academic affairs and matters in the University and in particular shall have the following powers and functions, namely:-
- (i) to report on any matter referred or delegated to it by the Board;
  - (ii) to make recommendations to the Board with regard to the creation, abolition or classification of teaching posts in the University and the emoluments payable and the duties attached thereto;
  - (iii) to make recommendations to the Board with regard to the creations and abolition of various faculties of studies and academic Departments;
  - (iv) to promote research within the University and to require from time to time, report on such research;
  - (v) to consider proposals submitted by the teachers on the academic activities;
  - (vi) to lay down policies for admissions to the University;
  - (vii) to recognize diplomas and degrees of other Universities and Institutions and to determine their equivalence in relation to the diplomas and degrees of the Universities;



- (viii) to fix, subject to any conditions accepted by the Board, the time, mode and conditions of the competition for Fellowship, Scholarship and other prizes and to recommend for award of the same;
  - (ix) to appoint examiners and moderators, and if necessary to remove them and to fix their fees, emoluments, traveling and other allowances and expenses;
  - (x) to recommend arrangements for the conduct of examinations and the dates for holding them;
  - (xi) to declare and review the result of the various examinations or to appoint committees or officers to do so, and to make recommendations regarding the conferment or grant of degrees, honors, diplomas, licenses, titles and marks of honor;
  - (xii) to recommend stipends, scholarships, medals and prizes and to make other awards in accordance with the regulations and such other conditions as may be attached to the awards;
  - (xiii) to approve or revise the syllabus for the prescribed courses of study and lists of prescribed or recommended text books and to decide for publishing of books by the University;
  - (xiv) to approve such forms and registers as are from time to time, required by the ordinances and regulations;
  - (xv) to formulate, from time to time, the desired standards of education to be adhered in drawing up the curriculum and syllabi for being taught in the University;
  - (xvi) to perform, in relation to academic matters, all such duties and to do all such acts as may be necessary for the proper carrying out of the provisions of this Act and the Ordinances and Regulations made there under;
- (2)
- (i) The Senate shall meet as often as may be necessary, but not less than three times, during an academic year;
  - (ii) One half of the existing members of the Senate shall form the quorum for a meeting of the Senate;
  - (iii) In case of difference of opinion among the members, the opinion of the majority shall prevail;

- (iv) Each member of the Senate, including the Chairperson of the Senate, shall have one vote and if there be an equality of votes on any matter to be determined by the Senate, the Chairperson shall in addition, have a casting vote;
- (v) Every meeting of the Senate shall be presided over by the Vice-Chancellor and in the absence of Vice-Chancellor, the Pro-Vice Chancellor as nominated by the Vice-Chancellor, will preside the meeting and in his absence, senior most Dean will preside over the meeting;
- (vi) If urgent action by the Senate becomes necessary, the Chairperson of the Senate may permit the business to be transacted by circulation of papers to the members of the Senate and the action proposed to be taken shall not be taken unless agreed to, by a majority of the members of the Senate, and the action as taken shall forthwith be intimated to all the members of the Senate, and in case the authority concerned fails to take a decision, the matter shall be referred to the Chancellor whose decision shall be final.

**27. The Faculty of Studies and the Departments-**(1) There shall be such number of Faculty of Studies and Departments as the University may determine from time to time;

- (2) The constitution, powers and functions of a Faculty or a Department shall be such as may be prescribed;

**28. The Finance Committee-** (1) There shall be a Finance Committee consisting of the following;

- (i) Vice-Chancellor : Chairperson (ex-officio);
- (ii) Principal Secretary/Secretary (Training & Technical Education) of the Government or his nominee (ex-officio);
- (iii) Principal Secretary/Secretary (Finance) of the Government or his nominee, (ex-officio);
- (iv) Principal Secretary or Secretary (Planning)/Director Planning of the Government or his nominee, (ex-officio);
- (v) Principal Secretary or Secretary (Higher Education) of the Government or his nominee;
- (vi) Pro-Vice Chancellors (ex-officio);
- (vii) Registrar (ex-officio);



(viii) Two other members nominated by the Board from amongst its members of whom at least one should not be an employee of the University;

(ix) Controller of Finance - Member-Secretary (ex-officio);

(2) The term of the members of the Finance Committee other than the ex-officio members, shall be three years;

(3) The functions and duties of the Finance Committee shall be as follows:-

- (a) to examine and scrutinize the annual budget of the University and to make recommendations on financial matters to the Board of Management;
- (b) to consider proposals for new expenditure and to make recommendations to the Board of Management;
- (c) all proposals relating to revision of grades, up gradation of the pay-scales and those items which are not included in the budget, shall be examined by the Finance Committee before they are considered by the Board of Management;
- (d) to consider the annual accounts and the financial estimates of the University prepared by the Controller of Finance and laid before the Finance Committee for approval and thereafter submitted to the Board of Management;
- (e) the Finance Committee shall fix the limits for the total recurring and non-recurring expenditure for the year, based on income and resources of the University, and no expenditure shall be incurred by the University in excess of the limits so fixed, without the approval of the Finance Committee;
- (f) to give its views and to make recommendations to the Board of Management on any financial question affecting the University either on its own initiative or on reference from the Board of Management;
- (g) to recommend the investment of any money belonging to the University, including any unapplied income, in such securities as it may, from time to time, think fit, or in the purchase or immovable property in India, with the like power of varying such investments from time to time.

(4) The Finance Committee shall meet, at least, four times in a year; five members of the Finance Committee shall form the quorum at any meeting;

(5) In case of difference of opinion among the members, the opinion of the majority of the members present shall prevail;

29. **The Building and Works Committee-**(1) There shall be constituted a Building and Works Committee of the University to be the principal planning body of the University which shall also be responsible for construction, maintenance and monitoring the development of infrastructure

- (2) The constitution of the Building and Works Committee, the term of office of its members and its powers and functions shall be such as may be prescribed;

30. **Other Authorities:** - The constitution, powers and functions of the other authorities which may be declared by the Statutes to be the authorities of the University, shall be such as may be prescribed;

31. **Statutes-** Subject to the provision of this Act, the Statutes may provide for all or any of the following matters, namely-

- (a) the constitution, powers and functions of the authorities and other bodies of the University, as may be found necessary to be constituted from time to time;
- (b) the selection and continuance in office of the members of the authorities and bodies of the University, the filling up of vacancies of members and all other matters relating thereto which the university may deem necessary or desirable to provide;
- (c) the appointing and disciplinary authorities for all Group employees teaching and non-teaching employees of the University;
- (d) the composition of Selection Committees for direct recruitment in respect of Group A (teaching and non-teaching) and other services for all Groups A, B and C teaching and non-teaching employees of the University;
- (e) terms and conditions for continuation of the teachers and other employees in the employment of the erstwhile Netaji Subhas Institute of Technology;
- (f) the manner of appointment of the officers of the University, terms and conditions of their service, their powers and duties and emoluments;
- (g) the manner of appointment of the teachers of the University, other academic staff, and other employees and their emoluments;
- (h) the manner of appointment of teachers and other academic staff working in any other University/Industry for a specified period for undertaking a joint project, their terms and conditions of service and emoluments;
- (i) the terms and conditions of service of the teachers and other members of the academic staff



- (j) the terms and conditions of other employees appointed by the University;
- (k) the constitution of the pension or the provident fund and the establishment of an insurance scheme for the benefit of the employees of the University;
- (l) the principles governing the seniority of employees of the University;
- (m) the procedure for any appeal by an employee or a student of the University;
- (n) conferment of honorary degrees;
- (o) institution of fellowships, scholarships, studentship, medals, prizes and other incentives;
- (p) maintenance of discipline among the employees of the University;
- (q) establishment of Chairs, Faculties and Departments;
- (r) management, supervision and inspection of institutions and centers established and maintained by the University;
- (s) the delegation of powers vested in the authorities or the officers of the University;
- (t) Procedure of admission on supernumerary seats for -
  - (i) Students of Foreign Origin and Persons of Indian Origin (PIO)  
(at least 15%);
  - (ii) Non Resident Indian (NRI) students (at least 5%);
- (u) all other matter which, by or under this Act, are to be, or may be, provided for by the Statutes;

**32. Statutes how made:-** (1) The first Statutes shall be those made by the Government with the prior approval of the Chancellor within sixty days of the commencement of this Act.

- (2) The Board may, from time to time, make new or additional Statutes or may amend or repeal the Statutes referred to in sub-section (1):

Provided that the Board shall not make, amend or repeal any Statutes affecting the status, powers or constitution of any authority of the University until such authority has been given a reasonable opportunity of expressing its opinion in writing on the proposed change and any option so expressed within the time specified by the Board has been considered by the Board.

- (3) Every new Statute or addition to the Statutes or any amendment or repeal thereof shall require the approval of the Chancellor, who may assent thereto or withhold his assent or remit it to the Board for reconsideration in the light of the observations, if any, made by him.
  - (4) A new Statute or a Statute amending or repealing an existing Statute shall not be valid unless it has received the assent of the Chancellor, who will take into consideration the views of the concerned department while deciding the matter.
33. **Ordinances** -(1) Subject to the provisions of this Act and the Statutes, the Ordinances may provide for all or any of the following matters, namely:-
- (a) the admission of students, the courses of study and the fees therefore, the qualifications pertaining to the award of degrees and diplomas and other academic distinctions, the conditions for the grant of fellowship and awards and the like;
  - (b) the conduct of examinations, including the terms and conditions of office and appointment of examiners;
  - (c) the conditions of residence of students and their general discipline;
  - (d) the management of institutions and centers maintained by the University;
  - (e) the procedures for the settlement of disputes between the employees and the University, or between the students and the University;
  - (f) the procedures for the settlement of disputes between the employees and students;
  - (g) the procedure for any appeal by an aggrieved employee or a student;
  - (h) maintenance of discipline among the students of the University;
  - (i) regulation of the conduct and duties of the employees of the University and regulation of the conduct of the students of the University;



- (j) the categories of misconduct for which action may be taken under this Act or the Statutes or the Ordinances;
- (k) any other matter which, by or under this Act or the Statutes, is to be, or may be, provided for by the Ordinances.
- (2) The first Ordinance shall be made by the Vice-Chancellor with the prior approval of the Government and the Ordinance so made may be amended, repealed or added to, at any time by the Board in such manner as may be prescribed;
- 34. Regulations-** The authorities of the University may make regulations consistent with this Act, the Statutes and the Ordinances, in the manner prescribed by the Statutes for the conduct of their own business and that of the committees, if any, appointed by them and not provided for by this Act, the Statutes or the Ordinances.
- 35. Annual report-(1)** The annual report of the University shall be prepared and placed before the Board of Management for approval, which shall include, among other matters, the steps taken by the University towards the fulfillment of its objects.
- (2) The annual report so prepared shall be submitted to the Chancellor within 12 months from the date of completion of the academic year.
- (3) A copy of the annual report, as prepared under sub-section (1), shall also be submitted to the Government which shall, as soon as may be, cause the same to be laid before the Legislative Assembly of Delhi;
- 36. Annual accounts-** (1) The annual accounts and the balance sheet of the University shall be prepared and place before the Finance Committee for approval and shall, at least, once every year at intervals of not more than fifteen months, be audited by the Controller and Auditor General of India or such person or persons as he may authorize in this behalf.
- (2) A copy of the annual accounts together with the audit report shall be submitted first to the Board of Management and then to the Government along with the observations, if any, of the Board.
- (3) A copy of the annual accounts together with the audit report shall be as submitted to the Government which shall, as soon as may be, cause the same to be laid before the Legislative Assembly of Delhi.
- 37. Conditions of service of employees - (1)** The University shall enter into a written contract of service with every new employee of the University appointed, on regular basis or otherwise and the terms and conditions of the contract shall not be inconsistent with the provisions of this Act, the Statutes and the Ordinances.

- (2) A copy of the contract referred to in sub-section (1) shall be lodged with the University and a copy thereof shall also be furnished to the employee concerned.

**38. Tribunal of Arbitration** - (1) Any dispute arising out of a contract of employment referred to in section 37 between the University and the employee or between the University and the employees of the erstwhile Netaji Subhas Institute of Technology in terms of the provisions of clause (e) of Section 4, shall be referred to a Tribunal of Arbitration which shall consist of one member nominated by the Board of Management, one member nominated by the employee concerned and an arbitrator to be nominated by the Chancellor.

- (2) Every such reference shall be deemed to be a submission to arbitration on the terms of this section within the meaning to the law of Arbitration as in force, and all the provisions of that law, with the exception of section 2 thereof, shall apply accordingly.
- (3) The procedure for regulating the work of the Tribunal of Arbitration shall be such as may be prescribed by the University.
- (4) The decision of the Tribunal of Arbitration shall be binding on the parties and no suit shall lie in respect of any matter decided by the Tribunal.

**39. Provident and Pension Funds** - The University shall constitute for the benefit of its employees such provident fund and pension fund or provide such insurance scheme as it may deem fit in such manner and subject to such conditions as may be prescribed;

Provided that the existing employees of Netaji Subhas University of Technology shall continue to be governed by the existing pension and Provident Fund Schemes prevailing to their services in the Netaji Subhas Institute of Technology.

**40. Disputes as to the constitution of the University Authorities and Bodies** - If any question arises as to whether any person has been duly appointed as, or is entitled to be, a member of any authority or other body of the University, the matter shall be referred to the Chancellor with Board's recommendations, whose decision thereon shall be final.

**41. Filling of casual vacancies** - All the casual vacancies among the members (other than ex-officio members) of any authority or other body of the University shall be filled, as soon as may be convenient, by the person or body who appoints, elects or co-opts the members whose place has become vacant and any person appointed, elected or co-opted to a casual vacancy shall be a member of such authority or body for the residue of the term for which the person whose place he fills, would have been a member.



42. **Proceedings of the University authorities or bodies not invalidated by vacancies:-** No act or proceedings of any authority or other body shall be invalidated merely by reasons of the existence of any vacancy or vacancies among its members.

43. **Protection of action taken in good faith-** No suit or other legal proceeding shall lie in any court against the University or against any authority, officer or employee of the University or against any person or body of persons acting under the order or direction of any authority or officer or other employee of the University for anything which is in good faith done or intended to be done in pursuance of the provision of this Act or the Statutes or the Ordinances.

44. **Mode of proof of the University record-** A copy of any receipt, application, notice, order, proceedings, resolution of any authority or committee of the University, or other documents in the possession of the University, or any entry in any register duly maintained by the University, if certified by the Registrar so designed shall, notwithstanding anything contained in the Indian Evidence Act, 1872 (1 of 1872) or in any other law for the time being in force, shall be admitted as evidence of the matters and transaction specified therein, wherein, where the original thereof would, if produced, have been admissible in evidence.

45. **Power to remove difficulties-** If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act, the Government may, by order, published in the official Gazette, make such provisions, not inconsistent with the provisions of this Act, as appear to it to be necessary or expedient for removing the difficulty:

Provided that no such order shall be made under this section after the expiry of three years from the commencement of this Act;

46. **Transitional provisions-** Notwithstanding anything contained in the Act and the Statutes:-

(a) The first Vice-Chancellor, the first Registrar and Controller of Finance shall be appointed by the Chancellor; and they shall be governed by the terms and conditions of service specified by the Statutes;

(b) The first Court and the first Board of Management shall be nominated by the Chancellor and shall hold office for a term of three years.

47. **Statutes and Ordinances to be published in the official Gazette and to be laid before the Legislature-** (1) Every Statute and Ordinance made under this Act shall be published in the official Gazette.

(2) Every Statute and Ordinance made under this Act shall be laid, as soon as may be after it is made, before the House of the Legislative Assembly of Delhi while it is in session for a total period of thirty days which may be comprised in one session or two or more successive sessions, and if, before the expiry of the session immediately following the session or the successive sessions aforesaid, the House agrees in making any modification in the Statute or the Ordinance or the House agrees that the Statute or the Ordinance, as the case may be, should not be made, the Statute or the Ordinance shall thereafter have effect only in such modified form or be of no effect, as the case may be;

validity of anything previously done under that Statute or Ordinance as the case may be.

48. **Honorary degree-** If not less than two-third of the members of the Senate recommend that an honorary degree, or academic distinction be conferred on any person on the ground that he is, in their opinion, by reason of eminent attainment and position, fit and proper to receive such degree or academic distinction, the Chancellor may, by an order, decide that the same may be conferred on the person recommended.

49. **Withdrawal of degree or diploma** -(1)The Board may either on its own motion or on the recommendation of the Senate, withdraw any distinction, degree, diploma or privilege conferred on, or granted to, any person, by a resolution passed by the majority of the total membership of the Board present and voting at the meeting, if such person has been convicted by a court of law for an offence, which, in the opinion of the Board, involves moral turpitude or if he has been guilty of gross misconduct.

(2) No action under sub-section (1) shall be taken against any person unless he has been given an opportunity to show cause against the action proposed to be taken.

(3) A copy of the resolution passed by the Board of Management shall be immediately sent to the person concerned.

(4) Any person aggrieved by the decision taken by the Board of Management may appeal to the Chancellor within thirty days from the date of receipt of such resolution.

(5) The decision of the Chancellor in such appeal shall be final.

50. **Discipline-** (1) The University shall maintain a strict discipline among students through its Proctorial Board and a senior teacher of the rank of the Professor shall be appointed as Chief Proctor by the Vice-Chancellor and will hold office upto a period of three years.

(2) The Proctorial Board shall deal with all matters connected with the discipline of students and Vice-Chancellor shall be the final authority of award of any punishment including expulsion from the University:

Provided that no such punishment shall be imposed without giving the students a reasonable opportunities to show cause against the action proposed to be taken.

51. **Deemed validity of appointments-** Notwithstanding anything contained in any other law or instrument having the force of law for the time being in force, the appointments made to any post in the University in accordance with the Statutes, the Ordinances and the Regulations shall be deemed to be valid and in accordance with law.



52. **Overriding effect** - The provisions of the Act, the Statutes, the Ordinances and the regulations made there under shall have effect notwithstanding anything inconsistent contained therewith in any other law or instrument having the force of law for the time being in force.

53. **Sponsored Schemes**- Whenever the University receives funds from any Government, the University Grant Commission or other agencies sponsoring a scheme to be executed by the University, notwithstanding anything in this Act or the Statutes or the Ordinance made there under -

- (a) the amount received shall be kept by the University separately from the University Fund and utilized only for the purpose of the scheme; and
- (b) the staff required to execute the scheme shall be recruited in accordance with the terms and conditions stipulated by the sponsoring organization. .


54. **Power to issue directions**- The Chancellor may either *suo moto* or on the recommendation of the Government may issue such directions as may be necessary or expedient in the interest of administration, financial or academic functioning of the University and in particular to ensure peace and tranquility in the University and to protect the property of the University.

55. **Power to annul the orders of the University**- The Government may, by order published in the official Gazette, annul any order, notification, resolution or any proceedings of the University which, in its opinion, is not in conformity with the provisions of this Act, or the Statutes, Regulations, or Ordinances or is otherwise inconsistent with the policy of the Government.

Provided that before making any such order, the Government shall afford an opportunity to the University to be heard against any such proposed action.

56. **The cost of performance audit**-The Chancellor shall cause a performance audit of the University every five years and the cost of performance audit shall be borne by the University;

57. **Supreme Authority of the University**-The Chancellor shall be the Supreme Authority of the University and shall have the power to review the acts of the Board and the Senate and shall exercise all the powers of the University not otherwise provided for by this Act or the Statutes.



(Anoop Kumar Mendiratta)  
Principal Secretary (Law, Justice & L.A.)

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार  
(विधि, न्याय एवं विधायी कार्य विभाग)  
आठवाँ तल, सी-विंग, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली

सं० फा० 14(7)/एलए-2015/cons2law/64-73

दिनांक 23 अगस्त, 2018

अधिसूचना

सं० फा० 14(7)/एलए-2015/cons2law/64-73, दि० 23.8.18 राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा के निम्नलिखित अधिनियम ने राष्ट्रपति की सहमति दिनांक 01 अगस्त, 2018 को प्राप्त कर ली है और इसे जन साधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है :-

**“दिल्ली नेताजी सुभाष प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय) अधिनियम, 2017**

**(2018 का दिल्ली अधिनियम 06)**

( 10 अगस्त, 2017 को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा द्वारा यथा पारित)

[1 अगस्त, 2018]

नेताजी सुभाष प्रौद्योगिकी संस्थान का एक असंबद्ध नेताजी सुभाष प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के रूप में पुनर्गठन और उन्नयन का उपबंध करने के लिए, और इंजीनियरिंग, प्रौद्योगिकी, विज्ञान, मानविकी, सामाजिक विज्ञान और प्रबंधन की शाखाओं में शिक्षा और अनुसंधान हेतु उपबंध करने के लिए और ऐसी शाखाओं में अधिगम की प्रगति और ज्ञान के प्रसार हेतु तथा तत्संसक्त या उसके आनुषंगिक कतिपय अन्य विषयों का उपबंध करने के लिए अधिनियम।

जबकि, नेताजी सुभाष प्रौद्योगिकी संस्थान सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860(1860 का अधिनियम 21) के अधीन एक पंजीकृत सोसायटी है और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सरकार द्वारा पूर्णतः वित्तपोषित और दिल्ली विश्वविद्यालय से संबद्ध है;

और जबकि, उक्त संस्थान को इंजीनियरी की विभिन्न शाखाओं के भीतर तथा अन्य क्षेत्रों जैसे प्रबंधन, चिकित्सा, मानविकी और सामाजिक विज्ञानों इत्यादि के साथ इंजीनियरी शिक्षा के संलयन, ऊर्ध्ववाधर और क्षैतिज गतिशीलता के लिए व्यवस्था करने वाली लचीली बहुस्तरीय प्रवेश प्रणाली, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, उद्यमिता विकास और मूल्य प्रणाली को बढ़ावा देने वाली अधिगम की विभिन्न शाखाओं और पाठ्यक्रमों में एक शिक्षण और अनुसंधान केन्द्र के रूप में अधिक कुशलता से कार्य करने में सक्षम बनाने हेतु इसे विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान किया जाना समीचीन है और यह विश्वविद्यालय न केवल इंजीनियरी प्रौद्योगिकी, विज्ञानों, मानविकी, सामाजिक विज्ञानों, प्रबंधन में शिक्षा और प्रगत अनुसंधान के अपने दायित्वों को पूरा करेगा बल्कि साथ ही, एक घनिष्ठ सामाजिक और औद्योगिक इंटरफेस वाला विश्वविद्यालय बनने के अपने अनेकानेक उत्तरदायित्वों का निर्वहन भी करेगा।

यह भारतीय गणराज्य के उनहत्तरवें वर्ष में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में अधिनियमित हो:-

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ:- (1) इस अधिनियम का नाम दिल्ली नेताजी सुभाष प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2017 है।

(2) यह ऐसी तिथि से प्रवृत्त होगा जो सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करें।

2. परिभाषाएं - इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो-

(क) “शैक्षणिक स्टाफ” से ऐसी श्रेणी के स्टाफ अभिप्रेत हैं, जो विश्वविद्यालय के शैक्षणिक स्टाफ होने के लिए संविधि द्वारा अभिहित किए जाएं;

(ख) “बोर्ड” से विश्वविद्यालय का प्रबंधन बोर्ड अभिप्रेत है;



(ग) "परिसर" से अनुदेश, या अनुसंधान, अथवा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र के भीतर दोनों ही व्यवस्थाएं करने हेतु विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित या गठित ईकाई अभिप्रेत है।

(घ) "केन्द्र" से विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित या अनुरक्षित केन्द्र अभिप्रेत है;

(ङ.) "कुलाधिपति", "कुलपति" और "प्रभिकुलपति" से विश्वविद्यालय के कुलाधिपति, कुलपति और प्रतिकुलपति अभिप्रेत है;

(च) "परीक्षा नियंत्रक" से विश्वविद्यालय का परीक्षा नियंत्रक अभिप्रेत है;

(छ) "वित्त नियंत्रक" से विश्वविद्यालय का वित्त नियंत्रक अभिप्रेत है;

(ज) "कोर्ट" से विश्वविद्यालय का कोर्ट अभिप्रेत है;

(झ) "दिल्ली" से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली अभिप्रेत है;

(ञ) "विभाग" से किसी संकाय का शैक्षणिक विभाग अभिप्रेत है;

(ट) "कर्मचारी" से विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति अभिप्रेत है;

(ठ) "संकाय" से विश्वविद्यालय का अध्ययन संकाय अभिप्रेत है;

(ड) "वित्त समिति" से विश्वविद्यालय की वित्त समिति अभिप्रेत है;

(ढ) "सरकार" से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर अभिप्रेत हैं जोकि राष्ट्रपति के द्वारा अनुच्छेद 239 के अंतर्गत नियुक्त हैं तथा इसी रूप में संविधान के अनुच्छेद 239AA के अंतर्गत नामित हैं।

(ण) "हॉल" से विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों के लिए निवास की या कॉरपोरेट जीवन की कोई इकाई अभिप्रेत है;

(त) "संस्था" से विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित या अनुरक्षित कोई संस्था अभिप्रेत है;

(थ) "कदाचार" से संविधि और अध्यादेश द्वारा विहित कोई कदाचार अभिप्रेत है;

(द) "अधिसूचना" से राजपत्र में प्रकाशित कोई अधिसूचना अभिप्रेत है;

(ध) "प्रोक्टर" से विश्वविद्यालय का प्रोक्टर अभिप्रेत है;

(न) "विहित" से इस अधिनियम के अंतर्गत बनाई गई संविधियों या अध्यादेशों या विनियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है;

(प) "रजिस्ट्रार" से विश्वविद्यालय का रजिस्ट्रार अभिप्रेत है;

(फ) "सीनेट" से विश्वविद्यालय की सीनेट अभिप्रेत है;

(ब) "स्टाफ" विश्वविद्यालय के सभी अध्यापन और गैर-अध्यापन स्टाफ अभिप्रेत है;

(भ) "संविधियों", "अध्यादेशों" और "विनियमों" से विश्वविद्यालय की संविधियां, अध्यादेश और विनियम अभिप्रेत हैं;

(म) "अध्यापक" से ऐसे प्रोफेसर, सह-प्रोफेसर, सहायक प्रोफेसर और ऐसे अन्य व्यक्ति अभिप्रेत हैं जो विश्वविद्यालय में, अथवा विश्वविद्यालय द्वारा अनुरक्षित किसी संस्था/केन्द्र में शिक्षा प्रदान करने या अनुसंधान कार्य करने के लिए नियुक्त किए जाएं और संविधियों द्वारा अध्यापक के रूप में अभिहित किए जाएं; और

सीनेट और वित्त समिति तथा ऐसे सभी व्यक्ति शामिल होंगे जो ऐसे पद पर अथवा सदस्यों के रूप में इसके बाद नियुक्त किए जाएं और जब तक वे ऐसे पद या सदस्यता को धारण किए हुए रहें।

(2) विश्वविद्यालय पूर्वोक्त नाम वाला एक निगमित निकाय होगा जो, इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन, संपत्ति को अर्जित करने, धारण करने और निपटान करने की तथा संविदा करने की शक्ति के साथ सतत उत्तराधिकार और सामान्य मुहर रखेगा और यह उक्त नाम से अभियोग चला सकेगा अथवा इस पर अभियोग चलाया जा सकेगा:

परंतु सरकार के सहयोग से अर्जित भूमि और निर्मित भवन का सरकार के पूर्व अनुमोदन के बिना निपटान नहीं किया जाएगा।

(3) यह विश्वविद्यालय इंजीनियरिंग, प्रौद्योगिकी, विज्ञानों, मानविकी और सामाजिक विज्ञानों पर मुख्य ध्यान देते हुए, परंतु उनके तक ही सीमित न रहकर, उच्चतर शिक्षा के उभरते क्षेत्रों में अध्यापन और अनुसंधान में लगा हुआ एक उत्कृष्टता केन्द्र होगा और यह इन क्षेत्रों और संकल्पित क्षेत्रों में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए अंतर्विषयक शिक्षा और अनुसंधान को बढ़ावा देगा।

4. विश्वविद्यालय के निगमीकरण का प्रभाव:— इस अधिनियम के प्रारंभ होने पर और प्रारंभ होने के समय से नेताजी सुभाष प्रौद्योगिकी संस्थान का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, और—

(क) किसी भी विधि (इस अधिनियम से इतर) अथवा किसी संविदा अथवा अन्य लिखत में नेताजी सुभाष प्रौद्योगिकी संस्थान के किसी संदर्भ को विश्वविद्यालय का संदर्भ माना जाएगा;

(ख) नेताजी सुभाष प्रौद्योगिकी संस्थान से संबंधित सभी चल और अचल संपत्ति विश्वविद्यालय में समाहित हो जाएगी;

(ग) सरकार द्वारा आबंटित निधियों से पूंजीगत परिसंपत्तियों का भविष्यगत अर्जन सरकार के अनुमोदन से होगा और उनका स्वामित्व सरकार का होगा। किंतु, उक्त परिसंपत्तियों के रखरखाव, सुरक्षा और अनुरक्षण का उत्तरदायित्व विश्वविद्यालय का होगा;

(घ) नेताजी सुभाष प्रौद्योगिकी संस्थान के सभी अधिकार और देयताएं विश्वविद्यालय को अंतरित कर दिए जाएंगे और वे विश्वविद्यालय के अधिकार और देयताएं होंगे;

(ङ.) ऐसे प्रारंभ से तत्काल पहले नेताजी सुभाष प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा नियमित आधार पर नियोजित प्रत्येक व्यक्ति विश्वविद्यालय में उसी कार्यकाल, उन्हीं परिलब्धियों के साथ और उन्हीं निबंधनों और शर्तों पर तथा पेंशन, अवकाश, उपदान, भविष्य निधि तथा अन्य मामलों के संबंध में उन्हीं अधिकारों और विशेषाधिकारों के साथ अपना पद या सेवा धारित रखेगा जैसाकि वह उन्हें तब रखता यदि यह अधिनियम पारित नहीं हुआ होता, और वह इसे तब तक जारी रख सकेगा जब तक कि उसका नियोजन समाप्त नहीं कर दिया जाता अथवा वह विश्वविद्यालय द्वारा आबंटित कर्तव्य के संबंध में नियोजन के निबंधनों और शर्तों को नहीं चुन लेता;

(च) इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, नेताजी सुभाष प्रौद्योगिकी संस्थान के विद्यमान विद्यार्थी, जो इस अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत विश्वविद्यालय की स्थापना से पहले प्रवेश दिए गए हों, दिल्ली विश्वविद्यालय के नामांकन और संबद्धता के अंतर्गत अपना शैक्षणिक पाठ्यक्रम और अध्ययन कार्यक्रम जारी रख सकेंगे और दिल्ली विश्वविद्यालय परीक्षाएं आयोजित करेगा और, वे वर्तमान में वहां जिस पाठ्यक्रम और अध्ययन कार्यक्रम का अध्ययन कर रहे हैं, उसके सफलतापूर्वक पूरा होने पर उन्हें डिग्रियां प्रदान करेगा;

5. क्षेत्राधिकार— इस अधिनियम द्वारा अथवा इसके अंतर्गत अन्यथा किए गए उपबंध के सिवाय, उस क्षेत्र की सीमाएं, जिसके भीतर विश्वविद्यालय अपनी शक्तियों का प्रयोग करेगा, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की



(ख) अध्ययनों की सुविधा देना और उन्हें बढ़ावा देना और परिणामतः डिग्रियां और डिप्लोमा प्रदान करना;

(ग) इंजीनियरी, प्रौद्योगिकी, विज्ञानों, मानविकी, सामाजिक विज्ञानों, प्रबंधन के विभिन्न संगत क्षेत्रों और संबद्ध क्षेत्रों में प्रगत अध्ययन और अनुसंधान केन्द्रों की स्थापना करना;

(घ) उत्पादों, सेवाओं और उद्यमिता के विकास को बढ़ावा देना;

(ङ.) भारत और विदेश में सहयोगात्मक (द्वैध डिग्री समेत) शिक्षण और अनुसंधान कार्यक्रमों हेतु विश्वविद्यालय, उद्योगों, अनुसंधान और विकास संगठनों तथा अन्य विश्वविद्यालयों/संस्थानों के बीच संपर्क स्थापित करना;

(च) इंजीनियरिंग, प्रौद्योगिकी, विज्ञानों, मानविकी और सामाजिक विज्ञानों, प्रबंधन के क्षेत्रों और अन्य संबद्ध क्षेत्रों में अध्यापकों और विद्यार्थियों के आदान-प्रदान के माध्यम से वैश्विक परस्पर-क्रियाओं को बढ़ावा देना;

(छ) तकनीकी-उद्यमिता, अभिनव परिवर्तनों और नए उत्पाद विकास के संवर्धन के लिए अभिनव फाउंडेशन, विज्ञान और प्रौद्योगिकी पार्क तथा प्रौद्योगिकी व्यापार इन्क्यूबेटर्स को स्थापित करना;

(ज) व्याख्यानों, संगोष्ठियों, परिचर्चाओं, कार्यशालाओं और सम्मेलनों का आयोजन करके ज्ञान और प्रक्रियाओं का और राष्ट्रीय विकास में उनकी भूमिका का प्रसार करना;

(झ) पेशेवरों के लिए व्यावसायिक नैतिकता, अनुसंधान सत्यनिष्ठा, वैश्विक रूप से स्वीकार्य व्यापार आचारा और नैतिकताओं को बढ़ावा देने और पोषित करने के उद्देश्य से सांस्कृतिक और नैतिक मूल्यों का बढ़ावा देना और उन्हें पोषित करना;

(ञ) विश्वविद्यालय के शैक्षणिक क्षेत्रों से संबंधित विषयों पर, इलेक्ट्रॉनिक संसाधनों समेत, नियतकालिक पत्रिकाओं, रचनाओं, अध्ययनों, पुस्तकों, प्रतिवेदनों, जर्नलों और अन्य साहित्यों को प्रकाशित करना;

(ट) इंजीनियरिंग, प्रौद्योगिकी, विज्ञानों, मानविकी, सामाजिक विज्ञानों और प्रबंधन से संबंधित अध्ययन, प्रशिक्षण परियोजनाएं और प्रौद्योगिकी अंतरण कार्यक्रम चलाना;

(ठ) ऐसे सभी कार्य करना जो विश्वविद्यालय के सभी या किसी भी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए अनुबंधी, आवश्यक या अनुकूल हों।

7. विश्वविद्यालय की शक्तियां और प्रकार्य— विश्वविद्यालय निम्नलिखित शक्तियां रखेगा और निम्नलिखित कार्य निष्पादित करेगा, अर्थातः—

(i) अधिगम की ऐसी शाखाओं में शिक्षा प्रदान करना, जैसाकि विश्वविद्यालय समय-समय पर निर्धारित करे और अनुसंधान के लिए तथा ज्ञान एवं कौशलों के उन्नयन और प्रसार के लिए उपबंध करना;

(ii) परीक्षाएं आयोजित करना और, ऐसी शर्तों के अधीन जो विश्वविद्यालय निर्धारित करे, परीक्षाओं, मूल्यांकन या जांच की किसी अन्य पद्धति के आधार पर व्यक्तियों को डिग्रियां और डिप्लोमा प्रदान करना और डिग्रियां तथा अन्य शैक्षणिक सम्मान या पदवियां प्रदान करना और उचित एवं पर्याप्त कारणों से ऐसे किसी भी प्रदान की गई उपाधियों को वापस लेना;

(iii) मानद डिग्रियां या अन्य सम्मान प्रदान करना;

(iv) विश्वविद्यालयेतर अध्ययनों और विस्तार सेवाओं को आयोजित और संचालित करना;

(v) विश्वविद्यालय की संविधियों के अनुसार विश्वविद्यालय के अंतर्गत अध्यापन, अनुसंधान, प्रशासनिक, तकनीकी असंचिवीय और अन्य पदों का सजन करना और उन पर नियुक्तियां करना;

(vii) उच्चतर शिक्षा के किसी अन्य विश्वविद्यालय, प्राधिकरण या संस्थान के साथ ऐसे ढंग से और ऐसे उद्देश्य के लिए, जैसा कि विश्वविद्यालय निर्धारित करे, सहयोग करना, सहकर्म करना या संबद्ध होना;

(viii) इंजीनियरिंग, प्रौद्योगिकी, विज्ञानों, मानविकी, सामाजिक विज्ञानों और प्रबंधन तथा किसी अन्य विषय में, जो उचित समझा जाए, प्रत्यायित और प्रतिष्ठित विदेशी विश्वविद्यालयों के साथ सभी स्तरों (स्नातक-पूर्व, स्नातकोत्तर और अनुसंधान) पर शिक्षा और अनुसंधान हेतु केन्द्रों की स्थापना करना;

(ix) विदेशी विद्यार्थियों, भारतीय मूल के व्यक्तियों (पीआईओ), अनिवासी भारतीयों (एनआरआई) और प्रायोजित विद्यार्थियों के लिए, ऐसे शुल्क पर जो विश्वविद्यालय द्वारा समय-समय पर निर्धारित किया जाए, विभिन्न विषय-क्षेत्रों और कार्यक्रमों में, अनुमोदित प्रवेश से अधिक अधिसंख्यक सीटों को विहित करना;

(x) शिक्षा प्रदान करने या अनुसंधान का पर्यवेक्षण करने या दोनों के लिए भारत और विदेश की संस्थाओं के साथ सहयोग को संभव बनाना, सहयोग और आदान-प्रदान को बढ़ावा देना;

(xi) संस्थाओं, केन्द्रों, परिसरों और शिक्षा, अनुसंधान, प्रशिक्षण और विस्तार के ऐसे अन्य केन्द्रों की, जो विश्वविद्यालय द्वारा समुचित समझा जाए, स्थापना, अनुसंधान करना;

(xii) मुद्रित और इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपों में अधिगम सामग्री का एक भंडार सृजित करने के लिए विभिन्न विषयों हेतु, सीनेट की सिफारिश पर, पाठ्यचर्या विकास प्रकोष्ठों की स्थापना करना;

(xiii) अनुसंधान और परामर्श सेवाओं हेतु उपबंध करना और, इस प्रयोजनार्थ, अन्य संस्थाओं या निकायों के साथ ऐसी व्यवस्थाएं करना जो विश्वविद्यालय उचित समझे;

(xiv) विश्वविद्यालय में दाखिलों हेतु रीति और मानदंड निर्धारित करना जिसमें परीक्षाएं, मूल्यांकन या चयन की कोई अन्य पद्धति शामिल हो सकती है;

(xv) अध्येतावृत्तियों, छात्रवृत्तियों, पदकों और पुरस्कारों को स्थापित करना और प्रदान करना;

(xvi) विद्यार्थियों तथा किसी अन्य श्रेणी के व्यक्तियों के लिए शुल्कों तथा अन्य प्रभारों को नियत करना, निर्धारित करना तथा उनसे उनकी मांग करना और उनका भुगतान स्वीकार करना;

(xvii) स्टाफ, विद्यार्थियों और स्कॉलरों के निवास के लिए हॉलों, होस्टलों, निवासों इत्यादि की स्थापना, अनुसंधान और प्रबंधन करना;

(xviii) विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों का अनुशासन और आचार विहित करना, विनियमित करना और प्रवर्तित करना तथा उनके स्वास्थ्य, कल्याण और सांस्कृतिक और कॉरपोरेट जीवन के संवर्धन के लिए व्यवस्थाएं करना;

(xix) विश्वविद्यालय के कर्मचारियों के कार्य और आचार को विनियमित करना और इस संबंध में ऐसे अनुशासनिक उपाय करना जो आवश्यक समझा जाए ;

(xx) विश्वविद्यालय के कर्मचारियों के स्वास्थ्य और सामान्य कल्याण के संवर्धन के लिए व्यवस्थाएं करना;

(xxi) विश्वविद्यालय की किसी भी संपत्ति अथवा अधिकारों के चाहे अतमूल्यन के लिए या मरम्मत, स्थापना, विस्तार या अनुसंधान के लिए और/अथवा क्षरणशील परिसंपत्तियों की प्रतिपूर्ति के लिए और किसी एक अन्य प्रयोजन के लिए कोई आरक्षित निधि, बीमा निधि या कोई अन्य विशेष निधि सृजित करना जिसके लिए विश्वविद्यालय ऐसी निधियों का सृजन या अनुसंधान करना समीचीन या उपयुक्त समझे;



(xxiii) ऐसे व्यक्तियों और संगठनों से उपकार, चंदा और उपहार प्राप्त करना और उनके नाम पर ऐसी पीठों, संस्थाओं, भवनों इत्यादि का नाम रखना जैसाकि विश्वविद्यालय निर्धारित करे, जिनका विश्वविद्यालय को दिया गया उपहार या चंदा ऐसी राशि के बराबर हो जैसाकि विश्वविद्यालय निर्धारित करे;

(xxiv) उपहार, खरीद, विनिमय, पट्टा, किराया या अन्यथा द्वारा चाहे कैसे भी, ऐसी किसी चल या अचल संपत्ति का अर्जन करना जो विश्वविद्यालय के प्रयोजनार्थ आवश्यक या सुविधाजनक हो और ऐसे भवनों, कार्यों और निर्माणों को बनाना, निर्माण करना, सुधार करना, परिवर्तित करना, ध्वस्त करना, मरम्मत करना और अनुरक्षण करना जो विश्वविद्यालय के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए आवश्यक हों;

(xxv) विश्वविद्यालय के प्रयोजनार्थ, सरकार के अनुमोदन से, धनराशि उधार लेना;

(xxvi) विषयों, विशेषज्ञता के क्षेत्रों, शिक्षा के स्तरों और तकनीकी तथा अन्य श्रमशक्तियों के प्रशिक्षण की दृष्टि से, अल्प और दीर्घ दोनों अवधियों के आधार पर, आवश्यकताओं का आकलन करना, और उन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आवश्यक कार्यक्रमों को प्रारंभ करना;

(xxvii) अनुपूरक सुविधाएं प्रदान करने के लिए उद्योग और अन्य विशेषज्ञ अभिकरणों का सहयोग जुटाने के लिए उपाय प्रारंभ करना;

(xxviii) "दूर शिक्षा" और "मुक्त पद्धति" के माध्यम से शिक्षा की व्यवस्था करना और अनौपचारिक या मुक्त अधिगम शाखा से औपचारिक शाखा में तथा विलोमतः विद्यार्थियों के जाने के लिए व्यवस्था करना;

(xxix) इसके कर्मचारियों के लिए नैतिक संहिता, आचार संहिता और अनुशासनिक नियमों को तथा विद्यार्थियों के लिए अनुशासन संहिता को विहित करना। किंतु, कर्मचारियों के लिए अनुशासनिक नियम सरकार के कर्मचारियों पर लागू आचार नियमों और अनुशासनिक नियमों की तर्ज पर होने चाहिए ;

(xxx) ऐसे अन्य सभी कृत्य और चीजें करना जैसाकि विश्वविद्यालय की सभी या किसी शक्ति के प्रयोग के लिए आवश्यक या आनुषंगिक हो अथवा विश्वविद्यालय के सभी या किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए आवश्यक या अनुकूल हो;

8. सभी वर्गों, जातियों और धर्म-मतों के लिए खुला विश्वविद्यालय— (1) यह विश्वविद्यालय किसी भी लिंग या नस्ल, धर्म-मत, जाति या वर्ग के व्यक्तियों के लिए विश्वविद्यालय में विद्यार्थी के रूप में दाखिला दिए जाने या वहां से स्नातक होने के लिए खुला होगा और यह विश्वविद्यालय के लिए विधिसम्मत नहीं होगा कि वह किसी भी व्यक्ति के लिए या पर धार्मिक आस्था या व्यवसाय या राजनीतिक मत के संबंध में किसी भी प्रकार का कोई जांच अधिरोपित करे ताकि उन्हें विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों के रूप में दाखिले का हक मिल सके, ताकि उन्हें विश्वविद्यालय के अध्यापक के रूप में नियुक्त होने का या उसमें कोई पद धारण करने का हक मिल सके।

(2) इस धारा में किसी भी बात को, विश्वविद्यालय को महिलाओं या समाज के दुर्बल वर्गों के व्यक्तियों, और विशेषकर अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों, तथा शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों की नियुक्ति या दाखिले के लिए कोई विशेष उपबंध बनाने से वंचित करने वाली नहीं समझा जाएगा। किंतु, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के अनुदेशों में मौजूद उपबंध का अनुसरण किया जाएगा;

9. विश्वविद्यालय में अध्यापन: (1) विश्वविद्यालय के डिग्री और डिप्लोमा कार्यक्रमों के संबंध में अध्यापन अध्यादेशों और विनियमों के अनुसार संचालित किया जाएगा;

(2) पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्याएं तथा ऐसे पाठ्यक्रमों और पाठ्यचर्याओं के अध्यापन को संचालित करने के

11. विश्वविद्यालय का कुलाधिपति— (1) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली का लेफ्टिनेंट गवर्नर विश्वविद्यालय का कुलाधिपति होगा;

(2) कुलाधिपति, यदि उपस्थित हो, तो डिग्रियों को प्रदान करने के लिए विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता करेगा;

(3) कुलाधिपति विश्वविद्यालय, इसके भवनों, पुस्तकालयों और उपकरणों के और विश्वविद्यालय द्वारा अनुरक्षित किसी संस्था के, तथा साथ ही विश्वविद्यालय द्वारा संचालित या किए जाने वाली परीक्षाओं, अध्यापन एवं अन्य कार्य का ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा, जैसाकि वह निर्देश दे, निरीक्षण करवा सकता है और इसी ढंग से विश्वविद्यालय के प्रशासन और वित्त से संबंधित किसी मामले के संबंध में कोई जांच करवा सकेगा;

(4) कुलाधिपति विश्वविद्यालय को ऐसी सलाह दे सकता है जो वह ऐसे निरीक्षण या जांच के परिणाम के संदर्भ में उचित समझे;

(5) विश्वविद्यालय कुलाधिपति को ऐसी सलाह पर की गई या किए जाने हेतु प्रस्तावित कार्रवाई के संबंध में संसूचित करेगा;

(6) कुलाधिपति विश्वविद्यालय के मामलों के संबंध में विश्वविद्यालय को सलाह देने के लिए किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति या व्यक्तियों को, जब और जैसे वह आवश्यक समझे, आमंत्रित कर सकेगा।

12. विश्वविद्यालय के अधिकारी — विश्वविद्यालय के निम्नलिखित अधिकारी होंगे;

(क) कुलपति (वाइस चान्सलर);

(ख) प्रतिकुलपति (प्रो वाइस चान्सलर);

(ग) डीन;

(घ) रजिस्ट्रार;

(ङ) परीक्षा नियंत्रक;

(च) वित्त नियंत्रक;

(छ) ऐसे अन्य अधिकारी जोकि संविधियों द्वारा विश्वविद्यालय के अधिकारी घोषित किए जाएं;

13. विश्वविद्यालय का कुलपति — (1) कुलपति इंजीनियरिंग, प्रौद्योगिकी, विज्ञान, प्रबंधन और विश्वविद्यालय के संबद्ध क्षेत्रों के किसी एक क्षेत्र में प्रख्यात विद्वान होगा तथा उच्चतर शिक्षार्जन की संस्था में गहन प्रशासनिक तथा शैक्षिक अनुभव धारक होगा;

2. (2) कुलपति की नियुक्ति विश्वविद्यालय के कुलाधिपति द्वारा होगी।

(3) कुलपति विश्वविद्यालय का प्रधान शैक्षिक और कार्यपालक अधिकारी होगा तथा विश्वविद्यालय के समुचित प्रशासन के लिए तथा अनुदेश देने और विश्वविद्यालय में अनुशासन बनाए रखने तथा विश्वविद्यालय के सभी प्राधिकारियों के निर्णयों के लागू करने हेतु उत्तरदायी होगा तथा विश्वविद्यालय का अन्य समस्त स्टाफ उनके अधीन होगा;

(4) कुलपति को अपनी कुछ शक्तियां, प्रबंधन बोर्ड को सूचना के अधीन अपने किसी भी अधीनस्थ को सौंपने का अधिकार होगा;

(5) कुलपति के अधिकार पर होने की शक्ति में उनकी अनुपस्थिति में प्रतिकुलपति तैय्यति कुलपति



(7) कुलपति को लेखा संहिता में नियमों, मूल एवं अनुपूरक नियमों तथा सरकार के अन्य नियमों विश्वविद्यालय के कार्य संचालन हेतु उनके लागू होने अथवा लागू बनाए जाने की सीमा तक के प्रयोजनार्थ सरकार के सचिव की शक्ति प्राप्त होगी, जो प्रबंधन बोर्ड द्वारा समय समय पर प्रदत्त अतिरिक्त शक्ति के अधीन होगी;

(8) कुलपति को प्रबंधन बोर्ड द्वारा निर्धारित अनुसार प्रक्रियाओं के अनुसार व्यय उपगत करने की शक्ति होगी, जो विशिष्ट प्रयोजन के लिए किए गए बजट प्रावधानों के अधीन होगी तथा कार्यो हेतु प्रभारित व्यय के लिए कुलपति को केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के कार्य मैनुअल के अनुसार मुख्य अभियंता तथा अधीक्षक अभियंता की शक्तियां, ऐसे पदों के सृजित किए जाने तथा भरे जाने तक की अवधि के लिए प्राप्त होंगी;

(9) कुलपति को आवर्ती बजट की भिन्न मदों के संबंध में प्रबंधन बोर्ड द्वारा प्रत्येक मद के लिए निर्धारित सीमा तक निधियों के पुनरविनियोजन की शक्ति प्राप्त होगी, परंतु कि ऐसे पुनरविनियोजन में भावी वर्षों के लिए कोई देयता सम्मिलित नहीं होगी, ऐसा प्रत्येक पुनरविनियोजन प्रबंधन बोर्ड को, अगली बैठक में, अनिवार्य रूप से प्रतिवेदित किया जाएगा;

(10) कुलपति को गैर वसूली योग्य हानियों का अपलेखन, नष्ट अथवा घिस-पिट जाने से अनुपयोग्य हुई सामग्री के गैर-वसूली योग्य मूल्य के सरकारी नियमों/मानदंडों की निर्धारित सीमा तक, करने की शक्ति सरकार के विभाग प्रमुख में प्रदत्त शक्तियों के अनुसार, सरकारी नियमों/मानदंडों के अनुसार, तथा ऐसी अनुबद्धताओं के अधीन प्राप्त होगी, जैसीकि प्रबंधन बोर्ड द्वारा समय समय पर निर्धारित की जाएगी;

(11) कुलपति को आकस्मिक निधियों से भुगतान पर तकनीशियनों, मजदूरों तथा परिषदसदस्यों को रिपोर्ट करने वाले प्रशासनिक तथा प्रबंधन स्टाफ की नियुक्ति करने की शक्ति प्राप्त होगी, जिनका पारिश्रमिक सरकार की अनुमोदित दरों से अधिक नहीं है तथा ऐसे स्टाफ की नियुक्ति केवल रिक्त स्वीकृत पदों के लिए ही की जाएगी;

(12) कुलपति को स्टाफ सदस्य को भारत में या विदेश में प्रशिक्षण के लिए अथवा अनुदेश पाठ्यक्रम अथवा सम्मेलन या संवादगोष्ठी या कार्यशाला में भेजने और पंजीकरण शुल्क का भुगतान करने तथा संबंधित स्टाफ का व्यय स्वीकृत करने की शक्ति प्राप्त होगी;

परंतु कि उपरोक्त प्रयोजनों/आधिकारिक ड्यूटी के लिए भारत से बाहर उसकी अपनी स्वयं की यात्रा हेतु स्वीकृति कुलाधिपति से ऐसी यात्रा से पहले प्राप्त करनी होगी;

परंतु कि कुलपति द्वारा उन प्रयोजनों हेतु भारत के भीतर अपनी यात्राएं स्वयं अनुमोदित की जा सकती हैं;

(13) कुलपति को, वित्त समिति की अनुशंसा पर, पूर्णतया अथवा अंशतया अनुपयुक्त हो गए भवनों के किराए की माफी या कमी स्वीकृत करने की शक्ति प्राप्त होगी;

(14) कुलपति को कोई भवन इसके निर्माण के प्रयोजन से इतर किसी प्रयोजन हेतु अस्थायी रूप से आबंटन की स्वीकृति प्रदान करने की शक्ति प्राप्त होगी; परंतु किसी भी स्थिति में यह वाणिज्यिक उपयोग के लिए नहीं होगा;

(15) कुलपति अपने विवेकानुसार ऐसी समितियों का गठन कर सकता है, जो उसके द्वारा उपयुक्त विचारित की जाती हैं;

(16) आपात स्थितियों में, कुलपति द्वारा प्रबंधन बोर्ड, सीनेट तथा वित्त समिति की सभी शक्तियों का प्रयोग किया जा सकता है और की गई कार्यवाही की रिपोर्ट संबंधित निकायों की अगली बैठक में

की सूचना प्राप्त होने के साठ दिन के भीतर करने का अधिकार होगा और तदनंतर प्रबंधन बोर्ड कुलपति द्वारा की गई उस कार्यवाही की पुष्टि, संशोधित या निरस्त कर सकता है।

(17) कुलपति द्वारा ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग किया जाएगा तथा ऐसे अन्य कार्य निष्पादित किए जाएंगे जैसाकि संविधियों और अध्यादेशों द्वारा निर्धारित किया गया है;

**14. विश्वविद्यालय का प्रतिकुलपति** – (1) प्रत्येक प्रतिकुलपति की नियुक्ति प्रबंधन बोर्ड (बीओएम) द्वारा पारिश्रमिक पर तथा सेवा की अन्य शर्तों पर की जाएगी और ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा तथा ऐसे कार्यों का निष्पादन करेगा, जैसाकि निर्धारित किया जाए।

(2) प्रतिकुलपति ऐसे कर्तव्यों का निष्पादन करेगा तथा ऐसे कार्यों एवं शक्तियों का प्रयोग करेगा, जैसाकि कुलपति द्वारा साधारणतया अथवा विशिष्ट मामलों में निर्दिष्ट किया जाए, और शैक्षिक तथा प्रशासनिक मामलों में कुलपति की सहायता करेगा;

(3) प्रतिकुलपति का कार्यकाल कुलपति के कार्यकाल के साथ समाप्त होगा।

**15. डीन** – प्रत्येक डीन की नियुक्ति कुलपति द्वारा ऐसी विधि में की जाएगी तथा ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा तथा ऐसे कर्तव्यों का निष्पादन करेगा जैसाकि निर्धारित किया जाए।

**16. रजिस्ट्रार** – (1) रजिस्ट्रार की नियुक्ति प्रबंधन बोर्ड (बीओएम) द्वारा ऐसे पारिश्रमिक पर तथा सेवा की अन्य शर्तों पर की जाएगी और ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा तथा ऐसे कार्यों का निष्पादन करेगा, जैसाकि निर्धारित किया जाए।

(2) प्रबंधन बोर्ड द्वारा शक्तिप्राप्त रजिस्ट्रार को विश्वविद्यालय की ओर से अनुबंध करने और कानूनी दस्तावेज हस्ताक्षरित करने तथा अभिलेख प्रमाणित करने की शक्ति प्राप्त होगी;

(3) रजिस्ट्रार अभिलेखों के अभिरक्षक के रूप में कार्य करेगा।

**17. परीक्षा नियंत्रक** – परीक्षा नियंत्रक की नियुक्ति प्रबंधन बोर्ड द्वारा ऐसे ढंग, ऐसे पारिश्रमिक पर तथा सेवा की अन्य शर्तों पर की जाएगी और ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा तथा ऐसे कार्यों का निष्पादन करेगा, जैसाकि निर्धारित किया जाए।

**18. वित्त नियंत्रक** – वित्त नियंत्रक की नियुक्ति प्रबंधन बोर्ड (बीओएम) द्वारा ऐसे पारिश्रमिक पर तथा सेवा की अन्य शर्तों पर की जाएगी और ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा तथा ऐसे कर्तव्यों का निष्पादन करेगा, जैसाकि निर्धारित किया जाए।

**19. अन्य अधिकारी** – विश्वविद्यालय के अन्य अधिकारियों की नियुक्ति का ढंग, शक्तियां तथा कर्तव्य ऐसे होंगे जैसेकि निर्धारित किए जाएं।

**20. विश्वविद्यालय के प्राधिकरण** – विश्वविद्यालय के निम्नलिखित प्राधिकरण होंगे, नामतः :-

(1) अधिकरण;

(2) प्रबंधन बोर्ड;

(3) सीनेट;

(4) वित्त समिति; और

(5) ऐसे अन्य प्राधिकरण जो संविधियों द्वारा विश्वविद्यालय के प्राधिकरण घोषित किए जा सकते हैं;

**21. अधिकरण** – (1) अधिकरण विश्वविद्यालय का सर्वोच्च प्राधिकरण होगा तथा इसमें निम्नलिखित व्यक्ति



(घ) प्रतिकुलपति (पदेन);

(ङ) सरकार का प्रधान सचिव/सचिव (प्रशिक्षण और तकनीकी शिक्षा) (पदेन);

(च) सरकार का प्रधान सचिव/सचिव (उच्चतर शिक्षा) (पदेन);

(छ) सरकार का प्रधान सचिव/सचिव (वित्त) (पदेन);

(ज) सरकार द्वारा नामित इंजीनियरिंग, प्रौद्योगिकी, विज्ञान, मानविकी, सामाजिक विज्ञान और प्रबंधन के क्षेत्र में दो प्रख्यात व्यक्ति

(झ) कुलपति द्वारा नामित विश्वविद्यालय के पूर्व छात्रों का एक प्रतिनिधि दो वर्ष की अवधि हेतु;

(ञ) कुलपति द्वारा नामित विश्वविद्यालय के चार डीन;

(ट) कुलपति द्वारा नामित विश्वविद्यालय के दो विभागाध्यक्ष;

(ठ) कुलपति द्वारा नामित विश्वविद्यालय अध्यापनेतर स्टाफ का एक सदस्य एक वर्ष के कार्यकाल हेतु;

(ड) रजिस्ट्रार – सदस्य सचिव (पदेन);

(2) अधिकरण द्वारा नामित सदस्यों का कार्यकाल, पदेन सदस्यों को छोड़कर, तीन वर्ष होगा।

(3) कोई व्यक्ति जो उसके द्वारा धारित पद अथवा नियुक्ति के कारण अधिकरण का सदस्य बना है, उसकी सदस्यता उसके पद या नियुक्ति की समाप्ति के साथ समाप्त हो जाएगी।

(4) अधिकरण के सदस्य की सदस्यता समाप्त हो जाएगी यदि वह पदत्याग करता है अथवा मानसिक रूप से अस्वस्थ हो जाता है अथवा दिवालिया हो जाता है अथवा नैतिक चरित्रहीनता के दंडनीय अपराध का सिद्धदोषी करार दिया जाता है।

(5) अधिकरण के सदस्य की सदस्यता तब भी समाप्त हो जाएगी यदि वह किसी अन्य विश्वविद्यालय में पूर्णकालिक नियुक्ति स्वीकार करता है अथवा पदेन सदस्य नहीं होने के बावजूद अधिकरण की तीन लगातार बैठकों में उपस्थित होने में असफल रहता है।

(6) अधिकरण का सदस्य, पदेन सदस्य को छोड़कर, कुलाधिपति को संबोधित पत्र द्वारा अपना पद त्याग सकता है और ऐसा त्यागपत्र कुलाधिपति द्वारा स्वीकार किए जाते ही प्रभावी हो जाएगा।

(7) अधिकरण में कोई भी रिक्ति संबंधित प्राधिकरण द्वारा नामांकन द्वारा भरी जाएगी और रिक्ति की अवधि समाप्त होने पर ऐसा नामांकन अप्रभावी हो जाएगा।

22. अधिकरण की शक्तियां, कार्य और बैठकें – (1) इस अधिनियम के प्रावधानों के अधीन, अधिकरण समय समय पर विश्वविद्यालय की प्रमुख नीतियों तथा कार्यक्रमों की समीक्षा करेगा तथा विश्वविद्यालय के सुधार एवं विकास हेतु उपायों का सुझाव देगा, अधिकरण की निम्नलिखित अन्य शक्तियां और कार्य होंगे, नामतः :-

(क) प्रमुख नीतियों अथवा प्रबंधन बोर्ड द्वारा उनके किसी प्रस्तावित संशोधन पर विचार करना,

(ख) कुलाधिपति द्वारा इसके विचारार्थ प्रेषित किसी मामले पर सलाह देना, तथा

(ग) ऐसे अन्य कार्य निष्पादित करना, जो निर्धारित किए जाएं।

(2) अधिकरण की साधारणतः प्रत्येक कलैण्डर वर्ष में एक बार बैठक होगी और कि अधिकरण की बैठक

(5) प्रत्येक सदस्य का एक वोट होगा और यदि अधिकरण द्वारा निर्णीत किए जाने वाले किसी प्रश्न पर वोटों की संख्या समान होने की स्थिति में अधिकरण के अध्यक्ष का वोट निर्णायक होगा;

(6) सदस्यों के बीच मत भिन्नता की स्थिति में बहुमत की राय मान्य होगी;

**23. प्रबंधन बोर्ड** — (1) प्रबंधन बोर्ड विश्वविद्यालय का प्रधान कार्यपालक प्राधिकरण होगा और अतएव उसको इस अधिनियम और तदधीन बनाई गई संविधियों के प्रावधानों के अधीन विश्वविद्यालय की व्यवस्था के लिए आवश्यक सभी शक्तियां प्राप्त होंगी तथा उस प्रयोजन हेतु तथा एतदधीन प्रावधानित मामलों के संबंध में भी अध्यादेश और विनियम बना सकता है।

(2) बोर्ड में निम्नलिखित व्यक्ति होंगे, नामतः :-

(क) कुलपति : अध्यक्ष (पदेन);

(ख) प्रतिकुलपति (पदेन);

(ग) सरकार द्वारा, कुलपति की संस्तुति पर, नामित इंजीनियरिंग, प्रौद्योगिकी, विज्ञान, मानविकी, सामाजिक विज्ञान और प्रबंधन के क्षेत्र में दो प्रख्यात व्यक्ति;

(घ) सरकार द्वारा, कुलपति की संस्तुति पर, नामित उद्योगों अथवा संगठनों से दो प्रख्यात व्यक्ति,

(ङ) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) का एक प्रतिनिधि;

(च) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई) का एक प्रतिनिधि;

(छ) सरकार का प्रधान सचिव अथवा सचिव, तकनीकी शिक्षा (पदेन);

(ज) सरकार का प्रधान सचिव/सचिव (वित्त) (पदेन);

(झ) सरकार का प्रधान सचिव अथवा सचिव, (उच्चतर शिक्षा) (पदेन);

(ञ) कुलपति द्वारा नामित विश्वविद्यालय के चार डीन;

(ट) कुलपति द्वारा नामित एक प्रख्यात व्यक्ति, जो पूर्व छात्र/छात्रा है;

(ठ) कुलपति द्वारा नामित दो विभागाध्यक्ष;

(ड) रजिस्ट्रार — सदस्य-सचिव (पदेन);

(3) कोई व्यक्ति जो उसके द्वारा धारित पद अथवा नियुक्ति के कारण बोर्ड का सदस्य बना है, उसकी सदस्यता उसके पद या नियुक्ति की समाप्ति के साथ समाप्त हो जाएगी।

(4) बोर्ड के नामित सदस्य का कार्यकाल, पदेन सदस्य को छोड़कर, तीन वर्ष होगा परंतु अधिकतम कुल दो कार्यकालों के लिए पुनरनामित किए जाने हेतु ग्राह्य होगा;

(5) बोर्ड के सदस्य की सदस्यता समाप्त हो जाएगी यदि वह पदत्याग करता है अथवा मानसिक रूप से अस्वस्थ हो जाता है अथवा दिवालिया हो जाता है अथवा नैतिक चरित्रहीनता के दंडनीय अपराध का सिद्धदोषी करार दिया जाता है; कोई सदस्य, जो विश्वविद्यालय का कर्मचारी है, की भी सदस्यता समाप्त हो जाएगी, यदि वह किसी अन्य विश्वविद्यालय में पूर्णकालिक नियुक्ति स्वीकार करता है अथवा यदि वह पदेन सदस्य नहीं है, कुलपति की पूर्व अनुमति प्राप्त किए बिना बोर्ड की तीन लगातार बैठकों में उपस्थित होने में असफल रहता है;

(6) बोर्ड का सदस्य, पदेन सदस्य को छोड़कर, प्रबंधन बोर्ड के अध्यक्ष को संबोधित पत्र द्वारा अपना पद



(i) विश्वविद्यालय के वार्षिक प्रतिवेदन तथा वार्षिक लेखा और ऐसे लेखा पर इसके लेखापरीक्षकों के प्रतिवेदन पर विचार करना तथा प्रस्ताव पारित करना;

(ii) सभी वित्तीय शक्तियों का प्रयोग करना तथा विश्वविद्यालय के वित्त, लेखा, निवेश, सम्पत्तियों, व्यवसाय तथा अन्य प्रशासनिक कार्य प्रबंधित और विनियमित करना और इस प्रयोजन हेतु समितियाँ गठित करना तथा ऐसी समितियों अथवा ऐसे अधिकारियों को शक्तियाँ प्रतिनिधित्वित करना, जैसाकि इसके द्वारा उपयुक्त विचारित किया जाए :

(iii) विश्वविद्यालय से संबंधित धन, प्रतिभूतियों में अनावेदित आय सहित, वित्त समिति की सलाह पर, समय समय पर इसके द्वारा उपयुक्त विचारित अनुसार निवेश करना, सिवाय सरकार की सहायता से अर्जित भूमि अथवा निर्मित भवन, जिनके मामले में, सरकार का पूर्व अनुमोदन अपेक्षित होगा;

(iv) विश्वविद्यालय की ओर से संविदा अनुबंध करना, परिवर्तन करना, निष्पादित करना तथा निरस्त करना और उस प्रयोजन हेतु ऐसे अधिकारी नियुक्त करना, जैसाकि इसके द्वारा उपयुक्त विचारित किया जाए;

(v) विश्वविद्यालय का कार्य निष्पादित करने के लिए भवन, परिसर, फर्नीचर, कम्प्यूटर्स तथा उपकरण और अन्य आवश्यक साधन उपलब्ध कराना;

(vi) विश्वविद्यालय के अधिकारियों, अध्यापकों, विद्यार्थियों तथा कर्मचारियों की शिकायतें स्वीकार करना, अधिनिर्णय करना और यदि उपयुक्त विचारित किया जाता है, संबोधित करना,

(vii) सीनेट की संस्तुति पर सभी समूहों के पद सृजित करना तथा विश्वविद्यालय में शैक्षिक और अन्य पदों हेतु व्यक्ति नियुक्त करना;

(viii) विश्वविद्यालय के लिए एक उभय मुद्रा का चयन करना;

(ix) इसके द्वारा समय समय पर निर्धारित उच्चतर शुल्क पर "विदेशी विद्यार्थियों, भारतीय मूल के व्यक्तियों (पीआईओ'ज), अनिवासी भारतीयों (एनआरआई'ज) तथा प्रायोजित विद्यार्थियों" को अतिरिक्त के रूप में प्रवेश देने के लिए नीति निर्धारित करना;

(x) ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करना तथा ऐसे अन्य कार्य निष्पादित करना, जो इस अधिनियम के अधीन आवश्यक विचारित हैं अथवा इस पर आरोपित किए गए हैं;

(2) (क) बोर्ड की एक वर्ष में कम से कम तीन बैठक होगी तथा ऐसी बैठकों के लिए कम से कम पंद्रह दिन का नोटिस दिया जाएगा।

(ख) बोर्ड की बैठक, रजिस्ट्रार द्वारा, कुलपति के अनुदेशों के अधीन अथवा बोर्ड के कम से कम आठ सदस्यों के अनुरोध पर आहूत की जाएगी;

(ग) किसी बैठक में गणपूर्ति के लिए बोर्ड के आधे सदस्यों की उपस्थिति आवश्यक होगी;

(घ) सदस्यों के बीच मत भिन्नता की स्थिति में बहुमत की राय मान्य होगी;

(ङ) बोर्ड के प्रत्येक सदस्य का एक वोट होगा और यदि बोर्ड द्वारा निर्णित किए जाने वाले किसी प्रश्न पर वोटों की संख्या समान होने की स्थिति में बैठक के अध्यक्ष का वोट निर्णायक होगा,

(च) बोर्ड की प्रत्येक बैठक की अध्यक्षता प्रबंधन बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा की जाएगी, जो विश्वविद्यालय के कुलपति होंगे। कुलपति की अनुपस्थिति में तत्स्थितम प्रतिकुलपति द्वारा प्रबंधन बोर्ड की बैठक

अनुमोदन हेतु दी जा सकती है तथा बोर्ड अध्यक्ष के निर्णय को अनुमोदित कर सकता है अथवा इसको संशोधन के साथ स्वीकार कर सकता है अथवा इसको अस्वीकार कर सकता है तथा बोर्ड द्वारा अध्यक्ष का निर्णय संशोधन के साथ स्वीकार करने अथवा अस्वीकार करने की स्थिति में ऐसा निर्णय अध्यक्ष के निर्णय के कार्यान्वयन की तिथि से संशोधित अथवा अस्वीकृत जैसी स्थिति है मान्य होगा।

(ज) यदि बोर्ड द्वारा की गई कार्यवाही अनिवार्य हो जाती है, तो प्रबंधन बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा बोर्ड के सदस्यों को प्रपत्रों के वितरण द्वारा कार्य निष्पादन की अनुमति दी जा सकती है तथा इस प्रकार किए जाने हेतु प्रस्तावित कार्यवाही बोर्ड के बहुमत द्वारा सहमति प्राप्त होने तक प्रारंभ नहीं की जाएगी तथा की गई कार्यवाही की सूचना बोर्ड के समस्त सदस्यों को तत्काल दी जाएगी और यदि संबंधित प्राधिकरण निर्णय लेने में असफल होता है, तब यह मामला कुलाधिपति के विचारार्थ प्रेषित किया जाएगा, जिनका निर्णय अंतिम मान्य होगा।

25. सीनेट — (1) सीनेट विश्वविद्यालय का प्रधान शैक्षिक निकाय होगा और इस अधिनियम के प्रावधानों, संविधियों तथा अध्यादेशों के अधीन, विश्वविद्यालय के भीतर अनुदेश, शिक्षा, अनुसंधान तथा परीक्षा के मानकों के अनुरक्षण का नियंत्रक एवं विनियामक होगा तथा उसके लिए उत्तरदायी होगा तथा ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग तथा ऐसे अन्य कर्तव्यों का निष्पादन करेगा जो संविधियों द्वारा इसको प्रदत्त किए गए हैं अथवा इस पर आरोपित किए गए हैं।

(2) सीनेट को सभी शैक्षिक विषयों पर मंडल को सलाह देने का अधिकार होगा।

(3) सीनेट में निम्नलिखित व्यक्ति होंगे, नामतः :-

(क) अध्यक्ष : विश्वविद्यालय के कुलपति (पदेन) ;

(ख) उप कुलपति (पदेन) ;

(ग) चार व्यक्ति, जो विश्वविद्यालय के कर्मचारी नहीं हैं, कुलपति की संस्तुति पर सीनेट द्वारा प्रतिष्ठित शिक्षाविदों, वैज्ञानिकों अथवा अभियंताओं के मध्य से सह-योजित किए जाने हैं,

(घ) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का एक नामिती ;

(ङ) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद का एक नामिती ;

(च) उद्योग जगत का एक प्रतिनिधि, कुलपति द्वारा नामितानुसार ;

(छ) विश्वविद्यालय के सभी डीन्स ;

(ज) कुलपति द्वारा नामित चार विभागाध्यक्ष ;

(झ) कुलपति द्वारा नामितानुसार विश्वविद्यालय के चार प्राध्यापक



(ड) दो विद्यार्थी प्रतिनिधि, कुलपति द्वारा नामितानुसार ; तथा

(ढ) रजिस्ट्रार – सदस्य – सचिव (पदेन)।

(4) सीनेट के सदस्यों का कार्यकाल, पदेन सदस्यों को छोड़कर, तीन वर्ष होगा, सिवाय विद्यार्थी प्रतिनिधि, जिसका कार्यकाल एक वर्ष होगा ;

26. सीनेट की शक्तियां, कार्य और बैठकें: (1) इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार बोर्ड के कानून, अध्यादेश और निगमन व पूर्ण पर्यवेक्षण में, सीनेट विश्वविद्यालय के अकादमिक मामलों का एवं विश्वविद्यालय के मामलों का प्रबंधन करेगी और विशेष रूप से उसकी निम्न शक्तियां और कार्य होंगे:-

- (i) बोर्ड के पास भेजे गए या बताए गए मामलों को रिपोर्ट करना;
- (ii) विश्वविद्यालय में शिक्षकों के पदों का निर्माण, समापन या वर्गीकरण की अनुशंसाएं करना और भुगतान योग्य वेतनमानों व उसके साथ अनुलग्नकों के विषय में अनुशंसाएं करना;
- (iii) अध्ययन व अकादमिक विभागों में विविध शिक्षकों के सृजन और समापन के संबंध में बोर्ड के समक्ष अनुशंसा करना
- (iv) विश्वविद्यालय में ही शोध को प्रोत्साहित करना और ऐसे शोधों को समय समय पर रिपोर्ट करना।
- (v) अकादमिक गतिविधियों पर शिक्षकों के द्वारा जमा किए गए प्रस्तावों पर विचार करना।
- (vi) विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए नीतियां बनाना।
- (vii) अन्य विश्वविद्यालयों की डिग्री और डिप्लोमा को पहचानना और विश्वविद्यालयों की डिग्रियों एवं डिप्लोमा के संबंध में उनकी समानता का निर्धारण करना;
- (viii) समय समय पर बोर्ड के द्वारा स्वीकृत स्थिति को सही करना, छात्रवृत्ति के लिए प्रतियोगिता के लिए समय, तरीकों और स्थितियों को सही करना और इसे प्रदान किए जाने के लिए समय तय करना
- (ix) परीक्षकों व जांचकर्ताओं को नियुक्त करना और अगर आवश्यक हो तो उन्हें हटाना व उनका शुल्क, वेतनमान, यात्रा व अन्य वेतनमानों व व्ययों को तय करना।
- (x) परीक्षाओं का आयोजन करने के लिए व्यवस्था करना और उन्हें आयोजित करने के लिए तिथि निर्धारित करना।
- (xi) विविध परीक्षाओं या समितियों और अधिकारियों की नियुक्ति के लिए परीक्षाओं के परिणामों की घोषणा करना और समीक्षा करना तथा डिग्री, उपाधियों, सम्मान, लाइसेंस, पदनाम और सम्मान के अंक देने के संबंध में अनुशंसाएं करना।
- (xii) नियमों के अनुपालन में स्टाइपेंड, छात्रवृत्ति और पुरस्कारों की अनुशंसाएं करना और उपाधियों के संबंध में नियमों के अनुपालन में अन्य सम्मान प्रदान करना;
- (xiii) अध्ययन के बताए गए पाठ्यक्रम को संशोधित करना या अनुमोदित करना और विश्वविद्यालय के द्वारा किताबों के प्रकाशन का निर्धारण करना,
- (xiv) नियम व निगमनों के द्वारा आवश्यक समय समय पर ऐसे प्रपत्रों और रजिस्टर का

(xvi) अकादमिक मामलों के संबंध में उन सभी कार्यों और दायित्वों को निष्पादित करना जो इस अधिनियम को किए जाने के लिए और इसके तत्वाधान में बनाए गए अध्यादेशों व निगमनों को करने के लिए आवश्यक हैं।

(2) (i) सीनेट की बैठक आवश्यकताओं के अनुसार होगी पर वे एक अकादमिक वर्ष के दौरान तीन बार से कम नहीं होनी चाहिए।

(ii) सीनेट की एक बैठक के लिए कोरम के निर्माण में सीनेट के वर्तमान सदस्यों का एक तिहाई होना चाहिए।

(iii) सदस्यों के बीच में असहमति के बीच बहुमत के विचार को माना जाएगा।

(iv) सीनेट के हर सदस्य के पास, सीनेट के अध्यक्ष सहित एक मत होगा और सीनेट के किसी भी मामले में मतों की समानता होगी तो अध्यक्ष का एक अतिरिक्त मत भी होगा।

(v) सीनेट की हर बैठक का अध्यक्ष कुलपति होगा और उसकी अनुपस्थिति में कुलपति द्वारा नामित प्रतिकुलपति अध्यक्षता करेगा और प्रतिकुलपति की अनुपस्थिति में वरिष्ठ डीन बैठक की अध्यक्षता करेगा।

(vi) अगर सीनेट के द्वारा किसी आपात कदम को उठाए जाने की आवश्यकता होती है तो यह सीनेट का अध्यक्ष सीनेट के सदस्यों के बीच में दस्तावेजों को वितरित करने के द्वारा कार्य की अनुमति दे सकता है और प्रस्तावित कदमों को तब तक नहीं लिया जाएगा जब तक कि सीनेट के सदस्य बहुमत से सहमत न हो जाएं और फिर इस कदम को सीनेट के सभी सदस्यों में आरंभ किया जाएगा और अगर संबंधित प्राधिकरण कोई भी कदम उठाने में अक्षम होता है तो मामले को कुलाधिपति के पास भेजा जाएगा जिसका निर्णय अंतिम होगा।

27. अध्ययन संकाय और विभाग: (1) अध्ययन में संकाय सदस्य और विभागों में सदस्यों का निर्धारण विश्वविद्यालय के द्वारा समय समय पर किया जाएगा।

(2) किसी भी संकाय का कार्य, संविधान एवं विभागों की शक्तियां निर्धारण के अनुसार होंगी

28. वित्त समिति: (1) एक वित्त समिति में निम्न सदस्य होंगे:

(i) कुलपति – अध्यक्ष (पदेन);

(ii) सरकार का प्रधान सचिव/सचिव (प्रशिक्षण व तकनीकी शिक्षा) या उसके नामित (पदेन);

(iii) सरकार का प्रधान सचिव/सचिव (वित्त) या उसके नामित (पदेन);

(iv) सरकार का प्रधान सचिव/सचिव (नियोजन)/सरकार का नियोजन निदेशक या उसका नामित (पदेन);

(v) सरकार का प्रधान सचिव/सचिव (उच्च शिक्षा) या उसका नामित

(vi) प्रतिकुलपति (पदेन);

(vii) रजिस्ट्रार (पदेन);

(viii) बोर्ड के सदस्यों के द्वारा नामित अन्य दो सदस्य जिनमें से एक कम से कम विश्वविद्यालय का कर्मचारी नहीं होना चाहिए



- (क) विश्वविद्यालय के वार्षिक बजट की जांच करना और परीक्षण करना एवं प्रबंधन आयोग के मामलों के लिए वित्तीय मामलों पर अनुशंसाएं करना;
- (ख) नए व्यय पर प्रस्तावों को मानना और प्रबंधन बोर्ड की अनुशंसाएं करना;
- (ग) ग्रेड, वेतनमानों के अपग्रेडेशन और उन वस्तुओं के संबंध में जो बजट में सम्मिलित नहीं हैं, संशोधन के संबंध में सभी प्रस्तावों की जांच प्रबंधन बोर्ड के द्वारा संज्ञान लिए जाने से पूर्व वित्त समिति के द्वारा की जाएगी।
- (घ) वार्षिक लेखे और वित्त नियंत्रक के द्वारा तैयार किए गए वित्तीय अनुमानों पर विचार करना और अनुमोदन के लिए वित्त समिति के समक्ष रखना और इसके बाद प्रबंधन बोर्ड को जमा करना।
- (ङ) वित्त समिति कुल बार बार होने वाले और बार बार न हानि वाला व्यय का व्यय सीमाओं का निर्धारण करेगी, जो विश्वविद्यालय की आय व सराफानों के आधार पर होंगे और निर्धारित सीमाओं के अतिरिक्त कोई भी व्यय नहीं होगा, जब तक कि वित्त समिति इसका अनुमोदन न कर दे।
- (च) विश्वविद्यालय को प्रभावित करने वाले वित्तीय प्रश्न पर प्रबंधन बोर्ड के विषय में अनुशंसा करना और अपने विचार देना फिर चाहे वह खुद के द्वारा उठाए गए कदम या प्रबंधन बोर्ड के किसी भी संदर्भ पर हो।
- (छ) विश्वविद्यालय के संबंध में किसी भी निवेश की अनुशंसा करना जिनमें लागू न होने वाली आय सम्मिलित होती है, ऐसी प्रतिभूतियों में समय समय पर निवेश करना उचित माना जा सकता है या भारत में किसी अचल सम्पत्ति की खरीद सम्मिलित हो सकती है, जिनमें समय समय पर ऐसे निवेश को भिन्न करने की शक्ति होती है।

(4) वित्त समिति की बैठक एक वर्ष में कम से कम चार बार होनी चाहिए, वित्त समिति के पांच सदस्य किसी भी बैठक में कोरम का निर्माण करेंगे।

(5) सदस्यों के विचारों के संबंध में किसी भी अंतर के मामले में, बहुमत के सदस्यों के विचार को माना जाएगा;

29. भवन एवं कार्य समिति: (1) विश्वविद्यालय की प्रधान नियोजन इकाई में से एक भवन एवं कार्य समिति का गठन किया जाएगा जो विश्वविद्यालय की संरचना के निर्माण, रखरखाव एवं विकास की निगरानी के लिए उत्तरदायी होगी।

(2) भवन एवं कार्य समिति के गठन में इसके सदस्यों की अवधि, और इसकी शक्तियां एवं कार्य निर्धारण के अनुसार होंगे।

30. अन्य प्राधिकरण : अन्य प्राधिकरणों के संविधान, शक्तियां और कार्य जो कि विश्वविद्यालय के द्वारा समय समय पर घोषित किए जा सकते हैं, समय समय पर वर्णन के अनुसार होंगे।

31. संविधि — इस अधिनियम के प्रावधान के लिए, सभी या किसी एक संविधि के लिए अर्थात् निम्नांकित मामलों में इन्हें उपलब्ध कराया जा सकता है—

(क) आवश्यक पाये जाने पर संविधान, अधिकारियों और विश्वविद्यालय के अन्य निकायों की शक्तियां और कार्यों को समय-समय पर गठित किया जाएगा

(ख) अधिकारियों के सदस्यों के कार्यालयों और विश्वविद्यालय के निकायों में चयन और निरंतरता, सदस्यों के रिक्त पदों को भरने और उससे संबंधित अन्य सभी मामलों के लिए जिन्हें विश्वविद्यालय जरूरी या प्रदान करना वांछनीय समझे;

(ग) विश्वविद्यालय के शैक्षणिक और गैर-शैक्षणिक सभी समूह के कर्मचारियों के लिए नियुक्ति और अनुशासनात्मक अधिकारी;

(च) विश्वविद्यालय के अधिकारियों की नियुक्ति के तरीके, उनकी सेवा, उनके अधिकारों और कर्तव्यों तथा परिलब्धियों के नियम और शर्तें;

(छ) विश्वविद्यालय के शिक्षकों, अन्य शैक्षणिक स्टाफ और अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति के तरीके और उनकी परिलब्धियां;

(ज) एक संयुक्त परियोजना को शुरू करने के लिए एक निर्धारित अवधि के लिए किसी भी अन्य विश्वविद्यालय/उद्योग में काम कर रहे अध्यापकों और अन्य अकादमिक स्टाफ की नियुक्ति के तरीके और उनकी सेवा की शर्तें और परिलब्धियां;

(झ) विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त शिक्षकों और अकादमिक स्टाफ के अन्य सदस्यों की सेवा के नियम और शर्तें;

(ञ) विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त अन्य कर्मचारियों के लिए नियम और शर्तें;

(ट) पेंशन या भविष्य निधि का गठन और विश्वविद्यालय के कर्मचारियों के लाभ के लिए एक बीमा योजना की स्थापना;

(ठ) विश्वविद्यालय के कर्मचारियों की वरिष्ठता के शासी सिद्धांत;

(ड) एक विश्वविद्यालय के किसी कर्मचारी या छात्र द्वारा किसी भी अपील की प्रक्रिया,

(ढ) मानद डिग्री प्रदान करना,

(ण) फेलोशिप, वजीफा, छात्रवृत्ति, पदक, पुरस्कार और अन्य प्रोत्साहन की संस्था,

(त) विश्वविद्यालय के कर्मचारियों में अनुशासन रखना;

(थ) अध्यक्षों, संकायों और विभागों की स्थापना;

(द) विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित और देखरेख किए जाने वाले संस्थानों और केन्द्रों का प्रबंधन, पर्यवेक्षण और निरीक्षण;

(ध) विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों या अधिकारियों में निहित शक्तियों का प्रतिनिधिमंडल;

(न) अतिरिक्त सीटों पर दाखिले की प्रक्रिया -

i. विदेशी मूल के छात्र और भारतीय मूल के लोग (पीआईओ) (कम से कम 15 प्रतिशत)

ii. आप्रवासी भारतीय (एनआरआई) छात्र (कम से कम 5 प्रतिशत);

(प) इस अधिनियम के तहत, या द्वारा, या होने वाले, हो सकने वाले या संविधियों द्वारा प्रदत्त अन्य सभी विषय

32. संविधियों को कैसे बनाया गया है:- (1) इस अधिनियम के प्रारंभ होने के साठ दिनों के भीतर कुलाधिपति के पूर्व अनुमोदन के साथ सरकार द्वारा बनाई गई संविधियां पहली विधियां होगी।

(2) बोर्ड समय-समय पर, नई या अतिरिक्त संविधियों का निर्माण कर सकता है या उप-धारा (1) में निर्दिष्ट विधियों में संशोधन कर सकता है या उन्हें निरस्त कर सकता है:

बशर्ते कि बोर्ड विश्वविद्यालय के किसी भी अधिकारी के दर्जे, शक्तियों या गठन को प्रभावित करने वाली किसी संविधि को नहीं बनाए, उनमें संशोधन या उन्हें निरस्त न करे जब तक कि प्राधिकारी को ताकि प्रस्तावित परिवर्तन पर लिखित में अपनी राय व्यक्त करने के लिए एक उचित अवसर न दिया गया हो और



(4) एक नया कानून या एक मौजूदा कानून में संशोधन या उसका निरस्तीकरण तब तक मान्य नहीं होगा जब तक उस पर कुलाधिपति की सहमति न मिल जाए, वे मामले का फैसला करते समय संबंधित विभाग की रायों पर ध्यान देंगे।

33. अध्यादेश — (1) इस अधिनियम और संविधियों के उपबंधों के अधीन रहते हुए, अध्यादेश निम्नलिखित मामलों में, सभी या किसी एक के लिए प्रावधान कर सकता है, अर्थात्:-

(क) छात्रों के दाखिले, अध्ययन के पाठ्यक्रम और इसलिए शुल्क, डिग्री और डिप्लोमा व अन्य शैक्षणिक भेदों से संबंधित योग्यता और फेलोशिप तथा पुरस्कार के अनुदान के लिए शर्तें आदि;

(ख) कार्यालय और परीक्षकों की नियुक्ति के नियम और शर्तों सहित परीक्षाओं का संचालन;

(ग) छात्रों के निवास और उनके सामान्य अनुशासन की शर्तें;

(घ) विश्वविद्यालय द्वारा देखरेख किए जाने वाले संस्थानों और केन्द्रों का प्रबंधन;

(ङ) कर्मचारियों और विश्वविद्यालय, या छात्रों और विश्वविद्यालय के बीच विवादों के निपटारे के लिए प्रक्रियाएं;

(च) कर्मचारियों और छात्रों के बीच के विवादों के निपटारे के लिए प्रक्रियाएं;

(छ) एक पीड़ित कर्मचारी या एक छात्र द्वारा किसी भी अपील के लिए प्रक्रिया;

(ज) विश्वविद्यालय के छात्रों के बीच अनुशासन कायम करना;

(झ) विश्वविद्यालय के कर्मचारियों के आचरण और कर्तव्यों का विनियमन और विश्वविद्यालय के छात्रों के आचरण से संबंधित विनियम;

(ञ) कदाचार की श्रेणियां, जिन पर इस अधिनियम या संविधियों या अध्यादेश के तहत कार्रवाई की जा सकती है;

(ट) इस अधिनियम या संविधियों द्वारा या उसके अधीन होने, या हो सकने वाले किसी भी अन्य विषय के लिए अध्यादेश द्वारा प्रावधान किया जाएगा।

(2) पहला अध्यादेश सरकार की पूर्व अनुमति के साथ कुलपति द्वारा निर्धारित किया जा सकता है और इस तरह से निर्मित अध्यादेश को किसी भी समय निर्धारित तरीके से बोर्ड द्वारा संशोधित, निरस्त किया जा सकता है या इसमें जोड़ा जा सकता है;

34. विनियम — विश्वविद्यालय के अधिकारी, अपने स्वयं के और समितियों के कार्यों के संचालन के लिए उनके द्वारा नियुक्त और इस अधिनियम, संविधियों या अध्यादेश द्वारा प्रदान नहीं किए गए, यदि कोई हो, या उसके लिए इस अधिनियम, संविधि और अध्यादेश के साथ संगत नियम बना सकते हैं।

35. वार्षिक रिपोर्ट — (1) विश्वविद्यालय की वार्षिक रिपोर्ट तैयार की जाएगी और उसे अनुमादन के लिए प्रबंधन बोर्ड के समक्ष रखा जाएगा, जिसमें अन्य मामलों के साथ, अपने उद्देश्यों की पूर्ति की दिशा में विश्वविद्यालय द्वारा उठाए गए कदमों को शामिल किया जाएगा।

(2) तैयार वार्षिक रिपोर्ट शैक्षणिक वर्ष के पूरा होने की तारीख से 12 महीने के भीतर कुलाधिपति को प्रस्तुत की जाएगी।

(3) उप-धारा (1), के तहत तैयार की गई वार्षिक रिपोर्ट की एक प्रति, जितनी जल्दी संभव हो, सरकार को भी प्रस्तुत की जाएगी, ताकि उसे दिल्ली की विधान सभा के समक्ष रखा जा सके;

(3) जितनी जल्दी संभव हो सके, लेखापरीक्षा रिपोर्ट के साथ वार्षिक खातों की एक प्रति, दिल्ली विधान सभा के समक्ष रखी जाने के लिए सरकार को प्रस्तुत की जाएगी।

37. कर्मचारियों की सेवा की शर्तें — (1) विश्वविद्यालय नियमित आधार पर या अन्यथा, विश्वविद्यालय के नियुक्त किए जाने वाले हर नए कर्मचारी के साथ सेवा के एक लिखित अनुबंध में प्रवेश करेगा, और अनुबंध के नियम और शर्तें इस अधिनियम के उपबंधों, संविधि और अध्यादेशों से असंगत नहीं होंगी।

(2) उप-धारा (1) में संदर्भित अनुबंध की एक प्रति विश्वविद्यालय के साथ दर्ज कराई जाएगी और एक प्रति उससे संबंधित कर्मचारी को प्रदान की जाएगी।

38. पंचाट का न्यायाधिकरण — (1) खंड 37 में निर्दिष्ट रोजगार के अनुबंध से विश्वविद्यालय और कर्मचारी या विश्वविद्यालय और तत्कालीन नेताजी सुभाष प्रौद्योगिकी संस्थान के कर्मचारियों के बीच धारा 4 (3) के प्रावधानों के संदर्भ में उत्पन्न किसी भी विवाद को, पंचाट के न्यायाधिकरण को भेजा जाएगा जिस प्रधान बोर्ड द्वारा मनोनीत एक सदस्य, संबंधित कर्मचारी द्वारा नामित एक सदस्य और कुलाधिपति द्वारा नामांकित एक मध्यस्थ को मिलाकर गठित किया जाएगा।

(2) इस तरह के प्रत्येक संदर्भ को प्रचलित पंचाट के कानून के अर्थ के भीतर, मामले पर मध्यस्थता करने के लिए प्रस्तुत समझा जाएगा, और तदनुसार धारा 2 के अपवाद के साथ कानून के सभी प्रावधान उस पर लागू होंगे।

(3) पंचाट की न्यायाधिकरण के काम को विनियमित करने की प्रक्रिया विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित की जा सकती है।

(4) पंचाट के न्यायाधिकरण के निर्णय पक्षों पर बाध्यकारी होंगे और न्यायाधिकरण द्वारा फैसला किए गए विषयों पर कोई भी मुकदमा नहीं रहेगा।

39. प्रोविडेंट और पेंशन फंड — विश्वविद्यालय अपने कर्मचारियों के लाभ के लिए भविष्य निधि और पेंशन फंड का गठन करेगा या निर्धारित किए जा सकने वाले नियमों के अनुसार इस तरह की बीमा योजना उपलब्ध कराएगा, जिसे वह इस तरीके और स्थितियों के लिए उचित समझे।

बशर्ते कि नेताजी सुभाष प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के मौजूदा कर्मचारी नेताजी सुभाष प्रौद्योगिकी संस्थान में अपनी सेवाओं के लिए मौजूदा पेंशन और भविष्य निधि योजनाओं के द्वारा शासित होना जारी रखेंगे।

40. विश्वविद्यालय के प्राधिकरणों और निकायों के गठन के विवाद — अगर किसी भी व्यक्ति को विधिवत नियुक्त किए जाने, या विश्वविद्यालय के प्राधिकरण या किसी अन्य निकाय का सदस्य होने के हकदार होने पर प्रश्न उठता है, तो बोर्ड की सिफारिशों के साथ मामले को कुलाधिपति के पास भेजा जाएगा, जिसका निर्णय अंतिम होगा।

41. आकस्मिक रिक्तियों को भरना — विश्वविद्यालय के किसी भी प्राधिकरण या अन्य निकाय का (प्रधान सदस्यों के अलावा अन्य) सदस्यों के बीच की सभी आकस्मिक रिक्तियों को, जिसकी जगह खाली हो गई है सदस्यों की नियुक्ति या चुनाव या सहमति देने वाले व्यक्ति या निकाय द्वारा, जितनी जल्दी सुविधाजनक हो सकता है, भरे जाएंगे और उस आकस्मिक स्थान को भरने के लिए नियुक्त या चयनित या सहमति प्राप्त व्यक्ति, उस बाकी कार्यकाल के लिए ऐसे प्राधिकरण या निकाय का एक सदस्य होगा, जिस अवधि के लिए वह व्यक्ति होता, जिसके रिक्त स्थान को वह भर रहा है।

42. रिक्तियों द्वारा अवैध न होने वाले विश्वविद्यालय के प्राधिकरणों या निकायों की कार्यवाही— किसी भी प्राधिकरण या अन्य निकाय का कोई भी कार्य या कार्यवाही केवल उसके सदस्यों के बीच किसी रिक्ति या रिक्त पदों के अस्तित्व के कारण अवैध नहीं हो सकती।

43. विश्वास में की गई कार्रवाई का संरक्षण — विश्वास में की गई या इस अधिनियम या विधियों या



44. विश्वविद्यालय के रिकॉर्ड के प्रमाण की विधि — विश्वविद्यालय के किसी भी प्राधिकरण या समिति की किसी भी रसीद, आवेदन, नोटिस, आदेश, कार्यवाही की एक प्रति, या विश्वविद्यालय के कब्जे में होने वाले अन्य दस्तावेजों, या किसी भी रजिस्टर में की गई किसी भी प्रविष्टि को विश्वविद्यालय द्वारा विधिवत बनाए रखा जाएगा, यदि रजिस्ट्रार द्वारा प्रमाणित किया गया हो तो इस तरह बनाया जाएगा कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 (1872 का 1) या उस समय के लिए लागू किसी भी अन्य कानून में मामलों के उसे और उसमें विनिर्दिष्ट लेन-देन को सबूत माना जाएगा, जिस प्रकार मूल को साक्ष्य के रूप में स्वीकार्य किया गया होता।

45. कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति— यदि इस अधिनियम के प्रावधानों का प्रभावी बनाने में कोई भी कठिनाई उत्पन्न होती है, तो सरकार उसे दूर करने के लिए, सरकारी राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा ऐसे प्रावधान करेगी जो आवश्यक या समीचीन हों, और इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत नहीं हों।

बशर्ते कि इस अधिनियम के प्रारंभ से तीन वर्ष की समाप्ति के बाद इस खंड के अंतर्गत ऐसा कोई आदेश नहीं किया जाए;

46. संक्रमणकालीन प्रावधान — अधिनियम और विधियों में निहित किसी भी बात के बावजूद—

(क) कुलपति द्वारा पहले उप-कुलपति, पहले रजिस्ट्रार और वित्त नियंत्रक नियुक्त किए जाएंगे तथा वे विधि के द्वारा निर्दिष्ट सेवाओं के नियम और शर्तों के आधार पर शासित किए जाएंगे।

(ख) पहली अदालत और प्रबंधन की पहली बोर्ड को कुलपति द्वारा नामित किया जाएगा और वह तीन साल की अवधि के लिए पद को धारित करेगी।

47. राजपत्र में प्रकाशित होने और विधानमंडल के समक्ष रखे जाने के लिए विधि और नियम — (1) इस अधिनियम के अधीन बनाए गए हर कानून और अध्यादेश को सरकारी राजपत्र में प्रकाशित किया जाएगा।

(2) इस अधिनियम के तहत बनाए गए प्रत्येक संविधि और अध्यादेश को बनाने के बाद, जितनी जल्दी संभव हो उसे केवल उस समय दिल्ली की विधान सभा के समक्ष रखा जाएगा जब वह तीस दिन की कुल अवधि के लिए सत्र में हो, यह एक सत्र में या तुरंत आयोजित दूसरे सत्र में या क्रमिक सत्र में शामिल किया जा सकता है, और अगर सत्र की समाप्ति से पहले अगला सत्र या पूर्वोक्त क्रमिक सत्र की समाप्ति से पहले, सदन संविधि या अध्यादेश में कोई भी संशोधन करने के लिए सहमत होता है या अगर सदन सहमत होता है कि उसके बाद कानून या अध्यादेश केवल इस तरह के संशोधित रूप में प्रभावी होंगे या प्रभावी नहीं होंगे, जैसा भी मामला हो, कोई प्रभाव नहीं होगा तो इस तरह का संशोधन या निरस्तीकरण पहले तैयार किए गए किसी भी कानून या अध्यादेश की वैधता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना किया जाएगा।

48. मानद डिग्री— यदि किसी व्यक्ति को मानद उपाधि, या शैक्षणिक गौरव देने के लिए सीनेट के कम से कम दो-तिहाई सदस्य इस बात की सिफारिश नहीं करते कि वह व्यक्ति उनकी राय में, अपनी प्रशंसा, प्राप्ति और स्थिति के अनुसार डिग्री या शैक्षणिक गौरव प्राप्त करने के लिए उपयुक्त है, तो कुलाधिपति एक आदेश से, उस व्यक्ति को डिग्री या शैक्षणिक गौरव देने का निर्णय कर सकते हैं।

49. डिग्री या डिप्लोमा का निरस्तीकरण — (1) अगर अदालत द्वारा किसी व्यक्ति को किसी अपराध के लिए दोषी करार दिया गया है जिसमें बोर्ड की राय के अनुसार, नैतिक अधमता शामिल है या वह सकल कदाचार का दोषी रहा है, तो बोर्ड अपने स्वयं के प्रस्ताव या सीनेट की सिफारिश पर, बोर्ड की एक बैठक में उपस्थित और मतदान करने वाले कुल सदस्यों के बहुमत द्वारा पारित संकल्प के आधार पर किसी व्यक्ति को प्रदत्त शैक्षणिक सम्मान, डिग्री, डिप्लोमा या विशेषाधिकार वापस ले सकता है।

(2) उप-धारा (1) के तहत किसी भी व्यक्ति के खिलाफ तब तक कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी, जब तक कि उसे प्रस्तावित कार्रवाई के खिलाफ कारण बताने का अवसर न दिया गया हो।

(3) सीनेट बोर्ड द्वारा किसी व्यक्ति को मानद उपाधि, या शैक्षणिक गौरव देने का निर्णय किया जाएगा।



50. अनुशासन — (1) विश्वविद्यालय अपने प्रोक्टोरियल बोर्ड और कुलपति द्वारा मुख्य प्रॉक्टर के रूप में नियुक्त प्रोफेसर के पद के एक वरिष्ठ शिक्षक के माध्यम से छात्रों के बीच एक सख्त अनुशासन बनाए रखेगा और यह पद तीन वर्ष की अवधि के लिए होगा।

(2) प्रोक्टोरियल बोर्ड छात्रों के अनुशासन से जुड़े सभी मामलों का निपटारा करेगा और कुलपति विश्वविद्यालय से निष्कासन सहित किसी भी सजा का निर्धारण करने वाला अंतिम प्राधिकारी होगा।

बशर्ते कि ऐसी सजा की कोई भी कार्रवाई करने के प्रस्ताव के खिलाफ छात्रों को अपना पक्ष रखने का एक उचित अवसर दिया जाए।

51. नियुक्तियों की मानद वैधता — समय पर लागू कानून के किसी भी अन्य कानून या साधन में निहित किसी भी बात के बावजूद, विधियों, नियमों और विनियमों के अनुसार विश्वविद्यालय में किसी भी पद के लिए की गई नियुक्तियों को वैध और कानून के अनुसार समझा जाएगा।

52. अधिभावी प्रभाव — अधिनियम के विधियों, नियमों और विनियमों के प्रावधान, और उसके अधीन बनाए गए विनियम, उस समय के लिए लागू किसी भी कानून के अन्य कानून या साधन में कुछ भी असंगत निहित होने के बावजूद प्रभावी होंगे।

53. प्रायोजित योजनाएं — विश्वविद्यालय जब भी किसी सरकार, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या विश्वविद्यालय द्वारा क्रियान्वित की जाने वाली एक योजना को प्रायोजित करने वाली अन्य एजेंसियों से धन प्राप्त करता है, इस अधिनियम या विधियों या इनके अधीन बनाए गए अध्यादेश में कुछ भी निहित प्रावधानों के बावजूद —

(क) प्राप्त राशि को विश्वविद्यालय द्वारा विश्वविद्यालय कोष से अलग रखा जाएगा और उसका केवल इस योजना का उद्देश्य के लिए ही उपयोग किया जाएगा और

(ख) योजना पर अमल करने के लिए आवश्यक स्टाफ की प्रायोजक संगठन द्वारा निर्धारित नियमों और शर्तों के अनुसार भर्ती की जाएगी।

54. निर्देश जारी करने का अधिकार— कुलाधिपति अपनी ओर से या सरकार की सिफारिश पर ऐसे दिशा-निर्देश जारी कर सकता है, जो आवश्यक या प्रशासन, वित्तीय या विश्वविद्यालय के शैक्षणिक कामकाज के हित में समीचीन हो सकते हैं और विशेष रूप से विश्वविद्यालय में शांति और सौहार्द सुनिश्चित करने तथा विश्वविद्यालय की संपत्ति की रक्षा के लिए हो।

55. विश्वविद्यालय के आदेश को अमान्य करने का अधिकार— सरकार, सरकारी राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, किसी भी आदेश, अधिसूचना, संकल्प या विश्वविद्यालय की ऐसी किसी भी कार्यवाही के आदेश का रद्द कर सकती है, जो राय में, इस अधिनियम, या विधियों, नियमों, या अध्यादेश या सरकार की नीति अनुरूप नहीं है या प्रावधानों के अनुसार सरकार के आदेश से अन्यथा असंगत है।

बशर्ते कि ऐसे किसी भी आदेश को पारित करने से पहले, सरकार ऐसी किसी भी प्रस्तावित कार्रवाई के खिलाफ विश्वविद्यालय को अपना पक्ष रखने का एक अवसर प्रदान करेगी।

56. प्रदर्शन की लागत लेखा-परीक्षा— कुलाधिपति हर पांच वर्ष पर विश्वविद्यालय के कार्य निष्पादन की लेखापरीक्षा आयोजित करेगा और निष्पादन लेखापरीक्षा की लागत को विश्वविद्यालय द्वारा वहन किया जाएगा;

57. विश्वविद्यालय के सर्वोच्च प्राधिकारी— कुलाधिपति विश्वविद्यालय के सर्वोच्च अधिकारी होंगे और उन्हें बोर्ड और सीनेट के कृत्यों की समीक्षा करने का अधिकार होगा और इस अधिनियम या विधियों द्वारा के लिए अन्यथा प्रदान नहीं किए जाने पर विश्वविद्यालय की सभी शक्तियों का प्रयोग करेंगे।